

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2026 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. डॉ० मनीष कुमार, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा।
2. श्री अनिल कुमार राय, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा।
3. श्री मुकेश कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), सारण, छपरा - सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य-

जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान एवं गोपालगंज (VC के माध्यम से)

कार्यवाही:-

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा उपस्थित सदस्यों, पदाधिकारियों एवं आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. विगत बैठक दिनांक-30.12.2025 की कार्यवाही का अनुपालन हेतु निदेश दिया गया।

3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण नियमों/प्रावधानों यथा-76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एवं 96 इत्यादि तथा उसके विषय की विस्तृत जानकारी सभी पदाधिकारियों एवं आवेदकों को दी गयी, ताकि परमिटधारी अपने परमिट का सही उपयोग कर सकें।

माह-जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2026 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु कुल-63 नये एवं 01 प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों पर विचार किया गया, जो कार्यावली संख्या-3(i) परिशिष्ट-I-III एवं कार्यावली संख्या-3(ii) परिशिष्ट-I पर दर्ज है।

इस बैठक हेतु प्राप्त आवेदन की विवरणी						पूर्व से लंबित आवेदन की विवरणी		
कुल आवेदन	स्वीकृत	संशोधित स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	लंबित आवेदन	पूर्व से कुल लंबित	स्वीकृत	अस्वीकृत
63	44	14	05	0	0	00	-	-
01	01	-	-	-	-			

प्राधिकार का निर्णय कार्यावली संख्या-3(i) परिशिष्ट-I-III एवं कार्यावली संख्या-3(ii) परिशिष्ट-I पर, पृष्ठ संख्या-..... से तक कुल-..... पन्नों में संलग्न है।

सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्रमांक	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दि० 6.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के लिए निर्देश।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।

(Handwritten signatures)

	ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	
6	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का ज्ञापांक 1932 दिनांक 12.03.2021	शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात के संबंध में।
7	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-7695, दिनांक-13.05.2024	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
9	परिवहन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0-6479, दिनांक-30.09.2022	सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्यता के संबंध में।
10	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।
11	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1557 दिनांक 07.03.2022	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में।
12	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 4156 दिनांक 01.06.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में।

5. दो वाहनों के प्रस्थान समय में न्यूनतम अन्तराल :- प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 में विचार-विमर्श करने के उपरांत यात्रीगणों की सुविधा, परमिट हेतु प्राप्त आवेदनो की संख्या, बस पड़ाव में भीड़-भाड़ व वाहन स्वामियों के अनुरोध एवं सुझाव तथा अन्य निकटतम प्राधिकारों की पॉलिसी इत्यादि को देखते हुए इसमें निम्न कंडिका "क" एवं "ख" के अनुरूप संशोधन किया गया, जिसे यथावत् रखते हुए प्राधिकार की बैठक दिनांक-27.02.2025 में कंडिका "ग" एवं "घ" जोड़कर इसे और अधिक स्पष्ट किया गया, ताकि समय-अंतराल के किसी बिंदु पर संशय की स्थिति नहीं रहे, जो निम्नवत है :-

(क) प्रारम्भिक/मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:-

(i) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पूर्व (Before) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय के बाद (After) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:- किसी मार्ग के मध्य बिन्दु पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान समय में अन्तराल (पहले या बाद में) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का अनुमान्य होगा।

(ग) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में समय-अंतराल:-

(i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन एवं आवेदित वाहन का प्रारम्भिक बिन्दु (किसी एक तरफ से भी) समान होने की स्थिति में नये आवेदनों के शिवाय समय-अंतराल का उपरोक्त कंडिका-(क) एवं (ख) के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का प्रारम्भिक बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय-अंतराल पहले (Before) न्यूनतम 05 मिनट तथा बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।

2

br

(iii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक बिन्दु होने की स्थिति में समय-अंतराल पहले (Before) या बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।
(घ) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में समय-अंतराल संबंधी उपरोक्त कंडिका (क), (ख) एवं (ग) के प्रावधान लागू/मान्य नहीं होंगे।

प्राप्त आवेदन एवं आपत्तियों के सुनवाई के क्रम में प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय आवेदकों द्वारा उक्त समय अन्तराल का अनुपालन किये बगैर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, जिस कारण उनके समय-सारणी में ट्रिप कटाव/बाईपास करते हुए परमिट पर विचार किया जाता है। इस बिन्दु पर कई आवेदकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिस वाहन के समय-सारणी से उनके आवेदित समय-सारणी का टकराव हो रहा है वह वाहन भी उनकी है अथवा उनके बैनर के अंतर्गत चलने वाली वाहन है। साथ ही कभी यह भी कहा जाता है कि जिनके वाहन के परमिट से समय का टकराव हो रहा है उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं इस तर्क के साथ परमिट हेतु अनुरोध किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि **उक्त मामला टाईम स्लॉट का है। परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु बस को दी जाती है न कि किसी व्यक्ति को।** चूंकि प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामियों द्वारा Modus Operandi के तहत एक रूट में क्रमवार अपने बैनर के अंतर्गत चार-पाँच वाहनों का परमिट प्राप्त कर लिया जाता है और उसमें से एक-दो वाहनों का ही परिचालन किया जाता है। शेष वाहनों को अन्यत्र स्थानों यथा-विद्यालय, आदि में संचालित किया जाता है तथा यात्रियों को बस के क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐसे टाईम स्लॉट का प्रावधान लागू किया गया है। **यह टाईम स्लॉट सभी पर सामान रूप से लागू होगा, चाहे समय का टकराव खुद की वाहन से ही क्यों न हो रहा हो।**

6 (i) **उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ (FIFO) :-** जिन वाहन स्वामियों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया का पालन कर प्राधिकार के आगामी बैठक में आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 28.10.2024 से "पहले आओ-पहले पाओ" का नियम लागू किया गया है, जिसके आधार पर ऑनलाईन आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार (Server time के अनुसार) विचार किया जाएगा।

(ii) **Overlapping of Route:-** मार्ग भिन्नता से संबंधित मामले प्रकाश में आते रहे हैं। एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग पर परमिट धारक द्वारा आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध किया जाता है। उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 में निर्णय लिया गया था कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो तथा 40 प्रतिशत तक एक-दूसरे को आच्छादित करता हो तो दोनों मार्ग को भिन्न मानते हुए नियमानुसार परमिट निर्गमण की कार्रवाई की जायेगी तथा जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो एवं समय का टकराव पूर्व के परमिट से आच्छादित वाहन से हो रहा हो तो उन दोनों मार्गों को भिन्न नहीं मानते हुए आपत्ति के आलोक में नियमानुसार ट्रिप कटाव/बाईपास कर परमिट निर्गमण के बिंदु पर विचार की जायेगी।

(iii) **बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :-** सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7695, दिनांक-13.05.2024 के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक-10.09.2024 की कार्यवाही में सभी बस मालिकों को उपरोक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक-20.09.2024 के अंक में एवं तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र हिन्दुस्तान व प्रभात खबर के दिनांक-10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस

मालिकों को अपने बसों के दोनों तरफ (a) परमिटधारी का नाम एवं पता (b) परमिट संख्या एवं वैधता (c) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (d) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लेने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही प्रधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः सभी बस मालिकों को पुनः निदेशित किया गया कि वे अपने बसों के दोनों तरफ उपरोक्त सूचना अनिवार्य रूप से अंकित करा लें अन्यथा पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ-साथ नियमानुसार परमिट निलंबन/रद्द करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया जायेगा।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन: सभी DTO, सारण प्रमंडलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(iv) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराया जाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-6479, दिनांक-30.09.2022 द्वारा VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177, 179 एवं धारा-190(2) का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार उक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा भी परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक-30.11.2024 हेतु मिश्रा-बन्धु वैनर के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं उसपर प्राप्त आपत्ति, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में निबंधित कई बसों का उल्लेख किया गया था, जिसके सुनवाई के क्रम में पाया गया कि उन बसों में VLTD स्थापित नहीं है। इस बिंदु पर पृच्छा किये जाने पर मिश्रा बन्धु बस सेवा के स्वामी एवं अन्य उपस्थित पक्षों द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं है।

इस बिंदु पर सभी वाहन स्वामियों को संबोधित करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि भले ही किसी राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं हो, परन्तु यह बिहार राज्य में अनिवार्य किया गया है। इसलिए इस प्राधिकार के क्षेत्र अंतर्गत यदि किसी अन्य राज्य से निर्गत परमिट पर वाहन का परिचालन किया जाता है, तो उस वाहन में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य है। अन्यथा परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-6479, दिनांक-30.09.2022 का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार संबंधित वाहन के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 के कार्यवाही में एवं समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के दिनांक-20.09.2024 के अंक में तथा तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" व "प्रभात खबर" के दिनांक-10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अनुपालन हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही प्रधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय बस मालिकों द्वारा अपने बस में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है।

प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.05.2025 के लिए प्राप्त आपत्ति के आलोक में वाहन सं०-BR06PF-5542, BR05PB-8293 एवं BR05PB-8073 का VLTD जाँच में पाया गया कि उक्त तीनों वाहनों में VLTD अधिष्ठापित एवं सक्रिय तो है, परन्तु उसका डाटा VLTD कंट्रोल रूम को आज तक नहीं भेजा गया है या पिछले कई माहों से नहीं भेजा रहा है, जो परिवहन विभाग, बिहार, पटना का

पत्रांक-1557, दि0-07.03.2022 एवं पत्रांक-4156, दि0-01.06.2023 में वर्णित प्रावधान का उल्लंघन है, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया गया एवं सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया है कि वे नियमित रूप से जाँच करते रहेंगे कि उनके वाहन में अधिष्ठापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। ऐसा नहीं होने पर उनकी जानबूझकर लापरवाही मानते हुए जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जायेगी।

अतएव सभी बस मालिकों को पुनः निदेश दिया गया कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके वाहन में अधिष्ठापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। VLTD स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे। साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर नियमानुसार परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों का VLTD की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रतिदिन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(v) वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी :-

सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)
1	0-5	असीमित
2	5-10	600
3	10-15	400
4	15 से ऊपर	100

उल्लेखनीय है कि विभागीय वाहन पोर्टल पर जाँच के क्रम में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्गत परमिट वाले बसों में से ऐसे 60 बसों, जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो गई थी एवं उनके पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक था, को ससमय प्रतिस्थापन नहीं कराने की स्थिति में दिनांक 10.05.2025 को तत्काल प्रभाव से उनके परमिट को रद्द कर टाईम स्लॉट मुक्त (Free) कर दिया गया था।

अतः सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रहा हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। उक्त अवधि के बाद परिचालन पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। ध्यान रहे कि परिवहन विभाग के पोर्टल पर अंकित दूरी को ही वास्तविक दूरी मानी जायेगी।

(iv) गति सीमा :-

(क) गति सीमा का पालन :- सभी आवेदक/वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए यह स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है एवं समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-9(i)(m) में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ख) न्यूनतम गति सीमा का पालन :- कतिपय बस मालिकों द्वारा अत्यंत धीमी गति से बसों का परिचालन किया जाता है एवं उसी के अनुरूप समय-सारणी का प्रकाशन कराया जाता है। बसों का काफी धीमी गति से परिचालन करने से यात्रियों को असुविधा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि यात्रीगण को पूर्व से यह पता नहीं होता है कि अमूक बस कितने समय में उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी। बस में बैठने के पश्चात् उनको पता चलता है कि इस बस का परिचालन काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जिससे उनको अपने किसी कार्य हेतु निर्धारित समय अवधि पर पहुँचने में विलंब होने के साथ-साथ अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर ऐसी स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए प्राधिकार द्वारा बसों की न्यूनतम गति सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:-

1. MMPPY बस:- 10 कि०मी०/घंटा
2. सामान्य बस:- 20 कि०मी०/घंटा

नोट:- (1) सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओं के मध्य दूरी 5 कि०मी० या उससे कम हो तब उस पड़ाव बिंदुओं के मध्य न्यूनतम गति सीमा 15 कि०मी०/घंटा अनुमान्य किया जा सकेगा।

(2) सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओं के मध्य आम तौर काफी भीड़-भाड़ रहती हो या उस सड़क की स्थिति के अनुसार 20 कि०मी०/घंटा से अधिक तेज चलाने पर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में 20 कि०मी०/घंटा से कम गति होने पर भी प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में 15 कि०मी०/घंटा से कम गति होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक-30.11.2024 में कतिपय वाहन स्वामियों का आवेदन समय अंतराल त्रुटिपूर्ण भरे जाने के कारण अस्वीकृत हो गया था। क्योंकि समय अंतराल में सुधार करने के पश्चात् पाया गया कि कतिपय आवेदनों के समय-सारणी में अधिकतम एवं न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। इस क्रम में आयुक्त-सह-अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा दिनांक-03.12.2024 को उपस्थित वाहन स्वामियों के साथ बैठक आयोजन किया गया, जिसमें समय अंतराल को सही तरीके से भरने एवं आवेदन के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न करने, आदि बिंदुओं पर प्रशिक्षण दी गयी। इसके बावजूद भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा समय अंतराल को सही तरीके से नहीं अंकित किया जा रहा है, जिसमें सुधार करने के पश्चात् पाया जा रहा है कि आवेदित समय-सारणी में या तो अधिकतम गति सीमा का या फिर न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। दोनों ही स्थिति में उनके आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं।

अतः वाहन स्वामियों को निदेशित किया जाता है कि यदि गति सीमा के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रमादी वाहन के परमिट को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध भी नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

6

7. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा आर0टी0ए0 में सुगमता, पारदर्शिता एवं परमिटधारियों की सुविधा हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं, जिसकी जानकारी विस्तार से दी जा रही है:-

(i) परमिट हेतु निर्णय सिर्फ ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है। ऑफलाईन कागजात सिर्फ कार्यालय अभिलेख के लिए है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन में विसंगति/भिन्नता, विशेष कर पोर्टल में दर्ज समय-सारणी एवं हार्ड कॉपी में दर्ज समय-सारणी में विसंगति/भिन्नता पाये जाने पर परमिट हेतु दी गई स्वीकृति को अस्वीकृत माना जायेगा एवं नियमानुसार आवेदन Dispose Off कर दिया जायेगा।

(ii) पूर्ण आवेदन देने हेतु सभी जानकारी आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाती है, ताकि आवेदक को सभी आवश्यक सूचना एक ही जगह पर सुगमता से प्राप्त हो सके, यथा-मार्गवार सभी बसों की समय-सारणी, बैठक की सूचना, एजेण्डा, बैठक की कार्यवाही इत्यादि। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का Sample भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(iii) आवेदन स्वीकृति के पश्चात् निर्गत परमिट आवेदक के पता पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाती है। साथ ही निबंधित डाक पावती को परमिट के कार्यालय प्रति पर रख कर उसे Scan किया जाता है तथा उस परमिट की प्रति को आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, ताकि परमिट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदक अपने निर्गत परमिट की Status की जानकारी प्राप्त कर सकें। पता गलत होने पर निबंधित डाक वापस आ जाने की स्थिति में आवेदक पर 1000=00 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माना जमा करने पर ही पुनः निबंधित डाक से परमिट संशोधित पता पर भेजा जायेगा।

अतएव सभी आवेदकों से अनुरोध है कि निबंधन पुस्तिका/ Owner book में अपना सही पता अनिवार्य रूप से अद्यतन करा लें।

(iv) किसी परमिट धारी/बैनर के अधीन परमिट युक्त वाहन का आवश्यक कागजात फेल होने की स्थिति में परिचालन के संबंध में कार्यालय को सूचना :- प्राप्त आवेदन की समीक्षा के क्रम में अथवा इस संबंध में आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में प्रायः वाहन स्वामियों द्वारा कहा जाता है कि उनके द्वारा वैसे किसी वाहन, जिसका आवश्यक कागजात फेल है का परिचालन नहीं किया जा रहा है अथवा कागजात फेल होने की अवधि में परिचालन नहीं किया गया है।

अतः इस संबंध में सभी वाहन स्वामियों को अवगत कराया जाता है कि यदि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहन का कोई भी मान्य कागजात फेल है एवं उसका परिचालन वे नहीं कर रहे हैं, तो इसकी सूचना ससमय कार्यालय को दें अन्यथा यह माना जायेगा कि उनके द्वारा उक्त वाहन का परिचालन किया गया है/किया जा रहा है (deemed operation of vehicle on road) एवं उक्त के अनुसार कार्रवाई/जुर्माना की जायेगी।

(v) V.L.T.D. रिपोर्ट एवं Toll Plaza से रिपोर्ट प्राप्त कर वाहन के परिचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसलिए सभी वाहन स्वामी अपने बैनर अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों का सभी कागजात अद्यतन रखें। टॉल प्लाजा से वाहन यदि गुजरा है तो वाहन परिचालन का प्रमाण माना जायेगा।

(vi) आवेदन एवं एजेण्डा पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर एवं उस पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है।

(vii) गंभीर आपत्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया जायेगा।

(viii) शिकायत हेतु E-mail :- यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो E-mail id-rtasaranbihar@gmail.com पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत सही होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन स्वामी को कोई कार्य हो तथा कोई अभिलेख जमा करना अथवा प्राप्त करना हो तो कार्यालय के काउण्टर नम्बर 01 से सम्पर्क कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। यदि उन्हें कार्यालय आना पड़े तो प्राथमिकता के आधार पर पहले संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से मिल कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। उनसे संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी कार्यों के निष्पादन के संबंध में बात कर सकते हैं।

(ix) बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात V.C. के माध्यम से बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराह्न 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

(x) समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी परमिटधारी/वाहन स्वामियों को प्राधिकार के निर्णय से अवगत कराया गया है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विषय	कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
1.	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में।	पत्रांक-188, दिनांक-14.09.2024	हिन्दुस्तान	20.09.2024
2.	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में। साथ ही 167 प्रमादी वाहनों को भेजे गये नोटिस के संबंध में।	पत्रांक-380, दिनांक-04.10.2024	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	10.10.2024
3.	प्रमादी वाहनों का परमिट रद्द करने के संबंध में।	पत्रांक-528, दिनांक-15.11.2024	दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	16.11.2024
4.	ऑफलाईन परमितों को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इंट्री के संबंध में।	पत्रांक-529, दिनांक-15.11.2024	द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	19.11.2024 20.11.2024
5.	परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में।	पत्रांक-48, दिनांक-29.03.25	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	04.04.2025
6.	परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में।	पत्रांक-148, दिनांक-30.04.25	हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण	03.05.2025
7.	फर्जी बीमा कराकर बस का परिचालन करने के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।	-	हिन्दुस्तान	25.05.2025

8. सामान्य निदेश:-

(i) इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को मुजफ्फरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :- उन सभी बसों को जिनके परमिट मुजफ्फरपुर प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, वे परमिट निर्गमण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है। अधिकतर परमिटधारी इस शर्त का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

किसी भी आवेदक या ग्रुप के वाहन का पूर्व में निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं किया जाता है तो प्रति लंबित वाहन पर 5000=00 रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जायेगा एवं भविष्य में उनके किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :- जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रतिहस्ताक्षर रहित बस के स्वामी द्वारा तथ्य छुपाकर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, तो जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित बस जिस बोर्ड, समूह/बैनर के अधीन परिचालित हो रही है, उस बोर्ड, समूह/बैनर के किसी भी आवेदन/आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा लिया गया है। कुछ वाहन स्वामियों द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय-सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। जैसे वाहनों के स्वामी इस प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन ऑनलाईन या काउन्टर नं0-1 पर समर्पित करेंगे।

यदि किसी वाहन का स्टेज कैरेज परमिट किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकार से निर्गत है एवं उसका परिचालन मार्ग बिहार राज्य/इस प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, तो उस परमिट को भी राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना से प्रतिहस्ताक्षर होना/कराया जाना अनिवार्य है। प्राप्त आसूचना के अनुसार एवं बसों के जाँच के क्रम में ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य से परमिट प्राप्त कर बिना प्रतिहस्ताक्षर के ही इस राज्य/सारण प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो कि नियमानुकूल नहीं है।

अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया जाता है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगली बैठक से पूर्व की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) परमिट प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने की स्थिति में पुनः परमिट हेतु आवेदन:- यदि किसी वाहन का निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व से धारित परमिट प्रत्यर्पण करने के पश्चात् ही नये परमिट हेतु आवेदन किया जाय। बिना परमिट प्रत्यर्पण किये नये परमिट हेतु आवेदन करने की स्थिति में यह माना जायेगा कि प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने के पश्चात् भी उक्त परमिट पर पूरे मार्ग में वाहन का परिचालन किया जा रहा है और इस आधार पर जुर्माना के साथ एवं पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करने के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जायेगी। परमिट की प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत होने की स्थिति में छः माह के पूर्व भी परमिट का प्रत्यर्पण किया जा सकता है।

(iv) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :- परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुरती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ-पत्र इत्यादि की जाँच कर एवं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक/ऑपरेटर)

(v) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :- ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इससे विद्युत तार से सम्पर्क होने एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि इस तरह के मामले की जाँच कर विधि सम्मत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। CCTV footage/Toll Plaza के प्रतिवेदन के आधार पर भी जुर्माना/कार्रवाई की जा सकती है।

कतिपय वाहन स्वामी स्टेज कैरेज (पाँच वर्ष) का परमिट प्राप्त कर स्कूल बस में परिचालित करते हैं एवं टाईम स्लॉट घेर कर रखते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। प्राधिकार की बैठक दिनांक-30.12.2024 में ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था, जिसका परमिट रद्द करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया था।

स्टेज कैरेज का परमिट प्राप्त कर यात्री बस के रूप में परिचालन नहीं करना परमिट के शर्तों का उल्लंघन है। शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों की जाँच करायी जायेगी एवं परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में कार्रवाई करते हुए नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जायेगा।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(vi) आपत्तिकर्ता का दायित्व :- आपत्तिकर्ता द्वारा अपने जिस वाहन से दूसरे वाहन के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर आपत्ति दिया जाता है, उस वाहन का भी सभी मान्य कागजात यथा- टैक्स, दुरुरती प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, VLTD इत्यादि अद्यतन होना अनिवार्य है, तभी उनके आपत्ति आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि आपत्तिकर्ता/उनके ग्रुप के किसी भी वाहन के कागजात अद्यतन नहीं है या जुर्माना बकाया है तो ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता पर देय जुर्माना के अतिरिक्त 10000=00 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इससे आपत्तिकर्ता आपत्ति से पहले अपने स्वयं के वाहनों के कागजात नियमसंगत है या नहीं, का सत्यापन कर ही आपत्ति देने के लिए प्रेरित होंगे। आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र में सभी विवरणी अंकित कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय के काउन्टर नं0-01 अथवा कार्यालय के ई-मेल- rtasaranbihar@gmail.com पर भेजें, इससे कार्यालय को कार्यावली तैयार करने में सुगमता होगी।

प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय वाहन स्वामी तथ्यात्मक आपत्ति नहीं करते हैं एवं स्वयं के संबंध में कई बिन्दुओं को छुपाकर शिकायत करते हैं। इस क्रम में बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि प्राधिकार की आगामी बैठक से स्वयं के बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों की विवरणी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा पत्र में उल्लेखित करते हुए तथ्यात्मक शिकायत करेंगे एवं शिकायत के संबंध में शिकायत का आधार एवं तत्संबंधी वांछित साक्ष्यों की प्रति भी संलग्न करेंगे, जिससे उनके शिकायत पर विचारोपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। सुलभ प्रसंग हेतु शपथ-पत्र/स्व-घोषणा पत्र एवं आपत्ति आवेदन

10

दाखिल करने संबंधी आवेदन-पत्र का Sample प्रारूप कार्यालय के वेबसाइट पर Sample Document के सेक्शन में सुलभता हेतु Upload कर दी गई है।

नोट:- (1) यथासंभव वाहन स्वामी के तरफ से ही आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा। विशेष परिस्थिति में ही वाहन स्वामी के तरफ से अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी के तरफ से विधिवत रूप से प्राधिकृत पत्र/एकरारनामा की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आपत्ति आवेदन को प्राधिकार द्वारा खारिज किया जा सकता है।

(2) आवेदित मार्ग से भिन्न मार्ग पर समय टकराव के विंदू पर आपत्ति करने की स्थिति में आपत्तिकर्ता अपने जिस वाहन से आपत्ति कर रहे हैं, वे उस परमिट के मार्ग का नक्शा अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे, ताकि स्पष्टता से जाँच की जा सके कि आवेदित मार्ग एवं आपत्तिकर्ता के परमिट का मार्ग एक-दूसरे को कितना प्रतिशत आच्छादित कर रही है।

(अनुपालन: संबंधित वाहन स्वामी/संबंधित आपत्तिकर्ता)

9. नये आवेदन :-

(i) परमिट हेतु आवश्यक कागजात :- परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है, परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि न हो तथा कार्यालय अभिलेख के लिए आवश्यक कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना या ई-मेल rtasaranbihar@gmail.com पर भेजना आवश्यक है। अतएव सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि निम्न कागजातों के साथ आवेदन करेंगे:-

(a) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(b) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(c) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(d) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(e) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(f) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैठान क्षमता, ए0सी0/नॉन ए0सी0, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके।

(g) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए यह भी उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर है।



(h) विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1)।

(i) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(j) मार्ग का वैध नक्शा।

(k) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र अनुलग्नक-2 में) ऑनलाईन आवेदन के List of Documents के क्रमांक 22 में फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करेंगे।

(l) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 27 रुपये के डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।

(m) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

प्रपत्र

वाहन संख्या-..... रूट संख्या-..... (.....से.....तक) वाया-.....

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

(ii) **अपूर्ण आवेदन :-** प्रायः ऐसा देखा गया है कि कई आवेदक परमिट हेतु आवेदन करते समय भूल कर देते हैं। जैसे:- वाहन की निबंधन संख्या लिखने में, तो कुछ का समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय लिखने में, या वाहन के चारों तरफ का फोटो संलग्न करने में, VLTD ऑनलाइन नहीं कराने में या मोटरयान निरीक्षक का प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) संलग्न नहीं करने में, या शपथ-पत्र में बैनर का नाम नहीं लिखने में।

ऐसे मामलो को प्रत्येक लिपिकीय भूल/त्रुटि के लिए 5000/-रुपये की दर से जुर्माना लगाकर उनके आवेदन पर विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

चूँकि अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन से समय-सारणी एवं अन्य बिन्दुओं की सही जानकारी प्रतिद्वंदी अथवा पूर्व परमिटधारी नहीं हो पाने के कारण उचित आपत्ति देने एवं सही तथ्यों की जानकारी नहीं रहने पर कार्यालय से भी गलती होने की संभावना रहती है। त्रुटिपूर्ण आवेदन पर जुर्माना लगाते हुए विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा आवेदकों को त्रुटिरहित आवेदन के लिए प्रेरित करने एवं पारदर्शिता हेतु लिया गया है। यह सिर्फ एक विकल्प होगा, यदि आवेदकगण जुर्माना नहीं देना चाहें तो वे पुनः नियमानुसार एवं विहित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध रिक्त **Time slot** में आवेदन कर सकते हैं तथा जो आवेदक जुर्माना जमा करने का विकल्प चुनते हैं, वे जुर्माना की राशि Tax Receipt शीर्ष **R0041001020014-00-03** में जमा कराकर कार्यालय में विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र के साथ सूचना देंगे। तत्पश्चात् परमिट निर्गत किया जाएगा।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में आवेदित समय-सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन एवं अन्य साक्ष्य को संलग्न नहीं किया जायेगा। ऐसे अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(अनुपालन: आर०टी०ए० सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) **आवेदक/आपत्तिकर्ता या उनके बैनर के तहत संचालित वाहनों पर जुर्माना लंबित होने पर भी परमिट हेतु आवेदन/आपत्ति करने पर अतिरिक्त जुर्माना :-** यदि किसी आवेदक/आपत्तिकर्ता द्वारा अपने वाहन पर जुर्माना की राशि लंबित होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित किया जायेगा तो लंबित जुर्माना के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा। डिफॉल्टर होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित करना नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि जो आवेदक/आपत्तिकर्ता स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा है या Defaulter है उसे लाभ/अपना दावा/परमिट प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। ऐसे आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं पर लंबित जुर्माना के अतिरिक्त 10000/- रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है, ताकि वाहन स्वामी अपने वाहन पर बकाये जुर्माना एवं टैक्स ससमय जमा करने हेतु प्रेरित होंगे।

यदि जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है अथवा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

12

अतः बस मालिकों से अनुरोध है कि यदि आपके ग्रुप/बैनर के किसी वाहन पर पूर्व से अधिरोपित जुर्माना बकाया है, तो बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् ही नये परमिट हेतु आवेदन करें एवं यदि आवेदन करने के पश्चात् आपके ग्रुप/बैनर के किसी वाहन पर जुर्माना अधिरोपित हो जाता है तो उसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक से पहले निश्चित रूप से जमा कर दें।

(iv) प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :- प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन के स्वामी या उनके वैध प्रतिनिधि (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई0डी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे। कई वाहन स्वामी अन्य आवेदकों के लिए आवेदन देते हैं या बैठक में पक्ष रखते हैं। वैसे आवेदकों को प्राधिकार द्वारा एक ही बैनर के अंतर्गत वाहन परिचालित करना माना जायेगा एवं किसी एक आवेदक पर जुर्माना लंबित होने की स्थिति में उस बैनर के सभी आवेदकों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(v) कार्यवाही में अंकित एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी वाहनों के कागजात की जाँच करना:- संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सारण प्रमण्डल अंतर्गत को निदेश है कि प्राधिकार की कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों एवं अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों के सभी कागजातों यथा-टैक्स, फिटनेश, बीमा, प्रदूषण, VLTD, परमिट आदि की जाँचकर नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा सभी कागजात अद्यतन करवाना सुनिश्चित करेंगे। अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यवाही में अंकित वाहनों के साथ-साथ अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित होने वाले सभी वाहनों की कागजातों की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो एवं कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेगें।

(vi) कार्यालय में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि कार्यालय में ऑनलाईन या E-mail के माध्यम से आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्य हेतु कार्यालय में आना पड़े तो काउण्टर संख्या-1 पर आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्यालय कर्मियों के कार्य/व्यवहार से असंतुष्ट हो तो आर0टी0ए0 सचिव से इसकी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में कार्यालय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कार्यालय में हंगामा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(vii) समान मार्ग संख्या वाले परमिट से ही कार्यालय अभ्युक्ति :- कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमिटों के प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया जाता है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया जाता है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमिट से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध में विचार किया जाता है, जिसपर आपत्ति प्राप्त हुई है। मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय का टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।

(viii) यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट को निर्गत किया जाना :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा लगातार टाईम स्लॉट में चार-पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है। टाईम-स्लॉट घेर कर रखा जाता है ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सकें।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का VLTD रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम-स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम-स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सकें, जिससे कि यात्रीगणों को सुविधा मिल सके।

(ix) स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त बसों का विशेष परमिट प्राप्त कर हमेशा टूर में परिचालन करना:- कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा इस प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट (टाईमिंग परमिट) लेकर इस प्राधिकार से एवं अन्य प्राधिकार से भी विशेष परमिट प्राप्त कर बस का टूर में परिचालन किया जाता है और टाईम स्लॉट घेर कर रखा जाता है, जिससे उस समय-अवधि में बस का परिचालन नहीं होने से आम जनों को यात्रा करने में परेशानी हो सकती है। परमिटधारी द्वारा Modus Operandi के तहत एक रूट में क्रमवार (एक के पीछे एक) अपने बैनर के अंतर्गत चार-पाँच वाहनों का परमिट प्राप्त कर लिया जाता है और उसमें से अपने आखिरी बस से पहले वाले किसी बस का विशेष परमिट प्राप्त कर अन्यत्र स्थानों पर परिचालन किया जाता है, जिससे यात्रियों को उस समय अवधि में कोई वाहन नहीं मिल पाता है और इस परिस्थिति का लाभ उठाकर वाहन स्वामी द्वारा अपने अगले बस में यात्रियों को बस के क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है।

इसलिए उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि टाईमिंग परमिट प्राप्त बसों का इस प्राधिकार से या अन्य प्राधिकार से भी एक कैलेंडर माह में सिर्फ दो बार अधिकतम एक-एक सप्ताह के लिए विशेष परमिट प्राप्त कर परिचालन किये जाने की अनुमति होगी। इस प्रावधान का अनुपालन नहीं कर अन्य प्राधिकार से विशेष परमिट लेकर अन्य स्थान पर परिचालन करने वाले बसों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

(x) फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई :- प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना, आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा, आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

इस क्रम में आयुक्त-सह-अध्यक्ष के आदेशानुसार दिनांक-28.01.2025 को सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा छपरा शहर में स्थित बीमा कम्पनियों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक आहूत की गई, जिसमें कतिपय शाखा प्रबंधकों द्वारा बताया गया कि ऐसे कतिपय मामले उनके संज्ञान में भी आये हैं कि बस की बीमा के कागजात देखने में तो वास्तविक प्रतीत होते हैं, परन्तु जाँच के क्रम में वह जाली पाये जाते हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि कई ऐसे भी मामले संज्ञान में आये हैं, जिसकी बीमा विवरणी यथा-बीमा की वैधता अवधि, आदि एम-परिवहन पर भी प्रदर्शित हो रहे थे, परन्तु जाँच के क्रम में पाया गया कि वास्तविकता में वह बीमा या तो जाली है या तो वह बीमा उस बस का न होकर किसी अन्य दुपहिया वाहन अथवा गैर व्यावसायिक वाहन के बीमा पॉलिसी में हेर-फेर (Manipulate) कर बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.04.2025 में सुनवाई के क्रम में शिकायत किया गया था कि निम्नांकित वाहनों का बीमा फर्जी है। इस वाहनों पर प्रदर्शित बीमा बस का नहीं बल्कि दोपहिया वाहन का है:-

(i) वाहन सं०-BR29PA-0160 (बस), वाहन स्वामी श्री बब्लू राय, पिता-श्री दीनानाथ राय, ग्राम-पांडेयपुर, पो०-डूमरहर, थाना-गुठनी, जिला-सिवान।


14



(ii) वाहन सं०-BR28G-2089 (बस), वाहन स्वामी श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता-श्री जलन सिंह, ग्राम+पो०-सोनवलिया, गोपालगंज।

उक्त दोनों बसों पर प्रदर्शित बीमा की जाँच कराने के पश्चात् पाया गया कि उक्त बसों का बीमा बस का नहीं बल्कि दोपहिये वाहन की है।

(iii) इसी प्रकार BR29P-9935, वाहन स्वामी-श्री धीरज कुमार राय पिता-श्री मंकाशव राय का बीमा फर्जी होने का मामला प्रकाश में आया था, जो कई माहों से फर्जी बीमा के साथ परिचालन किया जा रहा था। जब मामला प्रकाश में आया तो वाहन स्वामी द्वारा दिनांक-26.04.2025 को सही बीमा कराया गया।

उक्त तीनों बसों के वाहन स्वामी/प्रतिनिधि पर दिनांक 21.05.20025 को नगर थाना, छपरा, सारण में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रथमिकी (FIR) दर्ज करा दी गई है।

विदित हो कि फर्जी बीमा के आधार पर वाहन का संचालन करना BNS के तहत गंभीर आपराधिक कृत्य है एवं MV Act, 1988, CMV Rule, 1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही यात्रीगणों को दुर्घटना की स्थिति में कोई मुआवजा/लाभ भी देय नहीं हो सकेगा।

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी बसों का बीमा प्रमाण-पत्र की जाँच सक्षम प्राधिकार/संबंधित एजेंसी से करायी जायेगी। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन का परमिट रद्द करने के साथ-साथ संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(xi) बैठक के तिथि से दो दिन पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :- वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि वैसे परमिट जिसके टाईम स्लॉट से किसी आवेदित वाहन के टाईम स्लॉट से टकराव हो रहा हो एवं उस परमिट को वे प्रत्यर्पित करना चाहते हैं, तो वे ऐसे परमिट को प्राधिकार की बैठक की तिथि से दो दिन पूर्व तक कार्यालय में प्रत्यर्पित कर सकते हैं, ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत करने पर विचार किया जा सके, अन्यथा उक्त अवधि के बाद परमिट प्रत्यर्पण करने पर प्रत्यर्पित परमिट के टाईम स्लॉट को रिक्त नहीं मानते हुए आवेदित वाहन के परमिट पर विचार किया जायेगा।

(xii) दो पड़ावों के बीच दूरी :- कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग-अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। इस संबंध में प्राधिकार के पूर्व निर्णय के अनुसार विभागीय पोर्टल में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाता है। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में प्रतिवाद/आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर यदि आवश्यक हुआ तो विभाग को पोर्टल में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा। तत्पश्चात् यदि किसी मार्ग की दूरी में विभाग द्वारा सुधार किया जाता है, तो यह दूरी विभाग द्वारा पोर्टल में सुधार के बाद की तिथि से प्राप्त आवेदन के लिए मान्य होगी।

इस संबंध में उपरिथत सभी वाहन स्वामियों से पुनः अनुरोध किया गया कि यदि किसी मार्ग की दूरी में भिन्नता हो या दूरी के संबंध में कोई शिकायत हो तो उस मार्ग का नाम, भाया एवं मार्ग की संख्या सहित उस मार्ग का नक्शा संलग्न कर सुधार हेतु प्राधिकार को आवेदन समर्पित करें। उस आवेदन के आलोक में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच करायी जायेगी। यदि

आवश्यक हुआ तो विभागीय पोर्टल में पूर्व से दर्ज दूरी में अपेक्षित सुधार हेतु अनुशंसा विभाग को भेजी जायेगी।

(xiii) High Security Registration Plate :- केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदित वाहनों/आपत्तिकर्ता के वाहनों में H.S.R.P. लगे नहीं होने के कारण जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत किया गया है। अतः सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि अपने वाहन में H.S.R.P. लगवा लें एवं ऑनलाईन भी अपडेट करा लें।

कतिपय वाहनों में स्थानीय दुकानों/फुटपाथों पर स्थापित दुकानों द्वारा मूल निबंधन संख्या की जगह दूसरे निबंधन संख्या का फर्जी नम्बर प्लेट लगा दिया जाता है, जिसके कारण E-Challan निर्गत होने पर पता चलता है कि जिस वाहन का चालान निर्गत किया गया है, वह किसी अन्य स्थान पर है। फर्जी निबंधन प्लेटों/नंबर प्लेटों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी बसों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(xiv) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना :- परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है। MMPPY योजना के तहत प्राप्त बसों के मालिकों से अनुरोध है कि वे योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर ही परिचालन हेतु आवेदन समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

10. अन्यान्य :-

(i) परमिट की प्रति वाहन पर चस्पा करने के संबंध में :- प्राधिकार की बैठकों में प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामी एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अमूक व्यक्ति द्वारा अपने वाहन का परिचालन मेरे समय-सारणी के पहले/आगे-आगे कराते हैं एवं मना करने पर कहते हैं कि इस टाईम का परमिट मुझे प्राप्त है तथा परमिट की प्रति दिखाने को कहने पर परमिट की प्रति नहीं दिखाते हैं, जिससे वाहन स्वामियों के बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं।

उपरोक्त के मददेनजर सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वे अपने वाहन के परमिट की छायाप्रति वाहन के अंदर से उचित स्थान पर यथा-window glass आदि पर पठनीय भाग बाहर की ओर करके चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अन्य वाहन स्वामी के साथ-साथ यात्रीगण भी उस बस के समय-सारणी को देख सकें। इससे वाहन स्वामियों के बीच इस बिंदु पर आपसी विवाद उत्पन्न नहीं होगा तथा यात्रीगणों को भी समय की दृष्टिकोण से यात्रा करने में सुविधा होगी।

यदि चस्पा किये गये परमिट की प्रति किसी के द्वारा नुकसान कर दिये जाने या किसी तरह क्षतिग्रस्त होने या अपठनीय होने की स्थिति में समय-सारणी को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद से प्रभावित होने वाले परमिटधारी को दूसरे वाहन के परमिट को देखने का अधिकार होगा।

(ii) नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा। पुनः इस बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि यदि कोई महत्वपूर्ण मार्ग अधिसूचित कराना रह गया हो तो इस आशय का आवेदन प्राधिकार को समर्पित करें।

(iii) विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन :- सभी मोटरयान निरीक्षक, सारण प्रमंडलान्तर्गत को निदेश है कि यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का भौतिक जाँच/सत्यापन हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है तो नियमानुसार आवेदित वाहन का निरीक्षण/भौतिक जाँच कर वस्तु स्थिति की सूचना विहित प्रपत्र में अंकित करते हुए सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे।

ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मोटरयान निरीक्षक द्वारा वाहनों का भौतिक जाँच/सत्यापन कार्यालय में बैठे-बैठे ही कर दिया जा रहा है। वाहन को भौतिक रूप से उपस्थित होकर जाँच नहीं किया जाता है सिर्फ विहित प्रपत्र को भरकर खानापूति कर दी जा रही है। अतः निदेश है कि वाहनों का भौतिक जाँच/सत्यापन करते समय GPS युक्त कैमरा से अनिवार्य रूप से साक्ष्य के तौर पर फोटो खींच लिया जाय एवं संबंधित वाहन स्वामी को उपलब्ध करा दिया जाय, जिसकी प्रति वाहन स्वामी सत्यापन प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर परमिट हेतु आवेदन करने पर आवेदन के साथ संलग्न कर कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(iv) दूसरे राज्य में बकाये जुर्माना के संबंध में विकल्प/प्रावधान :- प्राधिकार की विभिन्न बैठकों में बकाये जुर्माने के संबंध में प्रायः यह वाहन स्वामियों द्वारा कहा जाता है कि उनके वाहन पर बकाया जुर्माना अन्य राज्य यथा-उत्तर प्रदेश, आदि राज्य से संबंधित है, जहाँ उनके जुर्माना से संबंधित मामला न्यायालय में चला गया है, जिस कारण उनका जुर्माना शीघ्र/ऑनलाईन माध्यम से जमा नहीं हो पा रहा है। इस क्रम में प्राधिकार की बैठक दिनांक-27.02.2025 में उपस्थित वाहन स्वामी श्री अवधेश प्रसाद, पिता-स्व0 वशिष्ठ प्रसाद, ग्राम-विशुनपुर, थाना-महाराजगंज, जिला-सिवान द्वारा बताया गया कि उनके वाहन सं0-BR29M-7375 पर मात्र 500/-रुपये का जुर्माना बकाया है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे जमा करने हेतु वे कई बार न्यायालय जा चुके हैं एवं इस क्रम में जुर्माने की राशि से कई गुना अधिक राशि खर्च कर चुके हैं। फिर भी उक्त जुर्माना अबतक जमा नहीं हो पाया है। इस बकाये जुर्माने के कारण उनके वाहन का फिटनेस भी अद्यतन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उक्त वाहन का परमिट भी रद्द हो गया। बैठक में दानी मौर्यध्वज बैनर के तरफ से उपस्थित श्री विरेन्द्र राय द्वारा भी बताया गया कि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन पर बकाया राशि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जहाँ इनका मामला भी न्यायालय में चला गया है, जिस कारण ऑनलाईन माध्यम से अथवा शीघ्र जमा नहीं हो पायेगा।

चूँकि प्राधिकार द्वारा वैसे वाहन स्वामियों, जो सरकार का राजस्व/जुर्माना बकाया रखकर अपने वाहन का परिचालन करते हैं, को प्रोत्साहित नहीं करने एवं बकाया जुर्माना ससमय जमा करने हेतु प्रेरित करने के दृष्टिकोण एवं उद्येश्य से परमिट की स्वीकृति नहीं दी जाती है अथवा पूर्व से बकाये टैक्स/जुर्माना जमा करने के साथ अतिरिक्त जुर्माना के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त स्थिति/प्रावधान के कारण कई बार कतिपय वाहन स्वामी परमिट से वंचित रह जाते हैं।

प्राधिकार की बैठक दिनांक-27.02.2025 में उपस्थित कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा कहा गया कि "हमलोग उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य में या न्यायालय में लंबित है, को यहाँ की शीर्ष में जमा करने के लिए तैयार हैं। कृपया बकाये जुर्माना की राशि यहाँ की शीर्ष में जमा कराकर परमिट की स्वीकृति दिया जाय।"

अतः उपरोक्त के मद्देनजर एवं वाहन स्वामियों के अनुरोध के आलोक में प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

(क) वाहन स्वामी यदि चाहें तो उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य के न्यायालय में लंबित है, जो शीघ्र जमा नहीं हो पा रहा है, को Tax Receipt शीर्ष R0041001020014-00-03 में अपने स्वेच्छा से एक शपथ-पत्र के साथ जमा करते हैं, तो परमिट की स्वीकृति एवं निर्गमन की जा सकेगी, परन्तु शपथ-पत्र इस आशय का संलग्न होना अनिवार्य होगा कि अमूक राशि अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जमा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण अपने स्वेच्छा से परमिट प्राप्त करने हेतु उक्त राशि जमा कर रहा हूँ/कर रही हूँ एवं जमा की गई उक्त राशि वापस लेने हेतु भविष्य में कभी दावा नहीं करूँगा/करूँगी तथा अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन जुर्माना भी जब जमा होगा, तब जमा कर दूँगा/कर दूँगी।

(ख) जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी एवं अमूक राज्य में/अमूक राज्य के न्यायालय में लंबित जुर्माने की राशि से मुक्ति नहीं होगी। यानि बकाया राशि भविष्य में उस राज्य/ न्यायालय में भी जमा करना होगा।

(ग) उपरोक्त प्रावधान सिर्फ वैकल्पिक होगा। आवेदक यदि चाहें तो उक्त विकल्प को नहीं मानकर बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् पुनः परमिट हेतु आवेदन कर सकते हैं।


 


(v) नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का अवैध परिचालन करने संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में :- विभिन्न स्रोतों से एवं प्राधिकार की बैठक में भी कतिपय आवेदकों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के निबंधन संख्या वाले कुछ वाहनों को सारण प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न मार्गों यथा-सारण, सिवान, गोपालगंज से रॉची, टाटा, बोकारो (झारखंड), दिल्ली के मार्गों पर अवैध ढंग से परिचालन किया जा रहा है। इन बसों के पास न तो परमिट होते हैं और न ही इनके कागजात यथा-टैक्स, बीमा, आदि अद्यतन होते हैं।


बिना परमिट एवं बिना अद्यतन कागजातों के किसी भी वाहन का परिचालन करना नियमाकूल नहीं है। यदि ऐसे वाहनों का परिचालन सारण RTA के क्षेत्र में किया जा रहा है तो उसकी जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करते हुए उसके परिचालन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं RTA, सचिव को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त में वर्णित शिकायतों के आलोक में अपने टीम के साथ उपरोक्त तथ्यों की जाँच करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत ऐसे किसी वाहन, जिसके पास वैध परमिट एवं वैध कागजात न हो, का परिचालन नहीं किया जा रहा है।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


अपर समाहर्ता, सारण (राजस्व)
सह-
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण छपरा।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।


आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....४४...../ सारण, दिनांक...०६.../०५.../२०२६

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सारण प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परि० प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सारण/सीवन/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।



क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक

दिनांक-20.03.2026 की कार्यवाही।
समय:- अपराह्न 03:00 बजे।
स्थान:- आयुक्त कार्यालय सभागार (हाईब्रिड मोड)।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक दिनांक-20.03.2026 की कार्यावली की विवरणी:-			पृष्ठ सं०
कार्यावली सं०-01	1	गत बैठक दिनांक-30.12.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	
कार्यावली सं०-02		प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।	परिशिष्ट-I
	(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1-28 दिन तक)	
	(ii)	सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमिटों की सूची।	
	(iii)	स्थायी सवारी गाड़ी के प्रतिस्थापित किये गए परमिटों की सूची।	
	(iv)	स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गए परमिटों की सूची।	
	(v)	प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या।	
कार्यावली सं०-03	(i)	बसों के स्थायी परमिट (स्टेज कैरेज परमिट) निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण।	परिशिष्ट-I,II&III
	(ii)	अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों एवं पूर्व से लंबित आवेदनों पर विचारण।	परिशिष्ट-I
अन्यान्य कार्यावली सं०-04	(i)	गत बैठक दिनांक-30.12.2025 की कार्यवाही के क्रमांक संख्या-12 पर जुर्माने के साथ स्वीकृत परमिट के आलोक में वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार।	परिशिष्ट-I

परिशिष्ट-I

कार्यावली सं०-01	
गत बैठक दिनांक-30.12.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	अनुपालन हो गया है।
कार्यावली सं०-02(i-v)	
प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची, दिनांक-30.12.2025 से 19.03.2026 तक।	
(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1-28 दिन तक) -27
(ii)	सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमिटों की सूची-
(iii)	स्थायी सवारी गाड़ी के प्रतिस्थापित किये गए परमिटों की सूची-04
(iv)	स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गए परमिटों की सूची-6
(v)	प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या-19



काचवली संख्या-3(i) बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु दिनांक-01.01.26 से 10.01.26 तक प्राप्त आवेदनों एवं आपतियों पर विचारणः

प्राप्त आवेदनों की विवरणी			प्राप्त आपति से संबंधित विवरणी		कार्यालय स्तर पर की गई समीक्षा की विवरणी			
क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातों की वैधता	मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय	आपति	आपतिकर्ता के वाहन की विवरणी	कार्यालय का तथ्य	कार्यालय तथ्य में वर्णित वाहन की विवरणी	निर्णय
1	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता- श्री राम एकवाल पाण्डेय, ग्राम- पूर्वी पकड़ी, थाना- झुमरिया घाट, जिला-पूंचम्पारण बैनर का नाम- आलोक बस सर्विस	BR01PJ-8639 नि० ति० 14.02.19 टैक्स-12.05.26 फिट०-20.04.27 बीमा-03.07.26 प्रदूषण-07.02.27 VLTD-22.04.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हैं	सिवान-मोतिहारी मार्ग सं०-2199 सिवान प्र०-05:25 मोतिहारी प्र०-08:43 सिवान प्र०-14:47 मोतिहारी प्र०-17:50	(1) आपतिकर्ता-नुर महम्मद, पिता-सादिक मियां, परमिट सं०- BR2025-SC-0889A आवृत वाहन सं०- BR28P-8451, मार्ग-रक्सौल - पटना, मार्ग सं०-4120डा० आपतिकर्ता का आपति है कि अरुण कुमार का वाहन सं०-BR06PE-0950 है एवं उनके वाहन का परमिट सिवान-मोतिहारी तक का पूर्व से निर्गत है। उक्त वाहन एवं आवेदित वाहन का सिवान तथा गोपालगंज में प्रस्थान का समय निम्नवत् है:- आवेदक सिवान प्र०-05:25 वा० सं०-BR06PE-0950-सिवान प्र०-05:26 अंतराल-01 मिनट आवेदक गोपालगंज प्र०-06:27 वा० सं०-BR06PE-0950 गोपालगंज प्र०-06:27 अंतराल-00 मिनट (2) आपतिकर्ता-देवेन्द्र कुमार, पिता-धुवनाथ प्रसाद, परमिट सं०- BR2023-SC-3449A आवृत वाहन सं०- BR06PF-7591, मार्ग-सिवान-मोतिहारी, मार्ग सं०-2199 आपतिकर्ता का आपति है कि वाहन सं०-BR06PE-0950 का परमिट सिवान-मोतिहारी तक का पूर्व से निर्गत है। उक्त वाहन एवं आवेदित वाहन का सिवान में प्रस्थान का समय निम्नवत् है:- आवेदक सिवान प्र०-05:25 वा० सं०-BR06PE-0950-सिवान प्र०-05:26 अंतराल-01 मिनट	BR28P-8451 नि० ति०-10.07.24 टैक्स-29.03.26 फिट०-09.07.26 बीमा-07.07.26 प्रदूषण-11.07.26 VLTD-10.07.26 जुर्माना-नहीं BR06PF-7591 नि० ति०-26.07.23 टैक्स-25.04.26 फिट०-24.07.27 बीमा-13.03.27 प्रदूषण-07.08.26 VLTD-23.08.26 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो मुजब प्राप्ति से दि०-18.10.2024 को निर्गत है। दोनों आपतिकर्ताओं ने जिस वाहन से आपति दिये हैं, उससे समय का टकराव नहीं हो रहा है और जिससे टकराव हो रहा है उस वाहन का ना ही आपति शुल्क दिया गया है और ना ही उक्त वाहन स्वामी द्वारा आपति दिया गया है।	BR06PE-0950 नि० ति०-18.12.18 टैक्स-05.06.26 फिट०-02.03.27 बीमा-02.03.27 प्रदू-20.06.26 VLTD-20.02.26 जुर्माना-नहीं	आपतिकर्ता द्वारा दिये गये आपति के आलोक में कार्यालय द्वारा जांच करने पर वाहन सं०- BR06PE-0950 वर्तमान में भी वाहन पोर्टल पर वाहन स्वामी का नाम श्री अरुण कुमार ही प्रदर्शित कर रहा है। अतः वाहन सं०- BR06PE-0950 के प्रथम खेप के समय-सारणी के मुख्य बिंदु सिवान में टकराव होने की स्थिति में प्रथम खेप के साथ परमिट स्वीकृत।



			<p>(2) आपतिकर्ता-श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता-राम ईकवाल पांडे, परमिट सं- BR2024-SC-2064A आवृत वाहन सं- BR05PB-7301 मार्ग- रक्सौल-सिवान, मार्ग सं-2465डा0</p> <p>(2) आपतिकर्ता-1 में जो आपति है वहीं अपतिकर्ता-2 का सेम है। साथ ही आवेदक के अन्य वाहन सं- BR29PB-9595 एवं BR28P-4304 का स्थायी परमिट काफी समय पहले आपके प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु अन्य प्राधिकार से विना प्रतिहस्ताक्षर कराए वाहन का परिचालन करते हैं, जो राजस्व की क्षति है।</p> <p>(3) आवेदनकर्ता का एक और वाहन सं- BR28P-4851 का प्रतिहस्ताक्षर मुजफ्फरपुर प्राधिकार से अस्वीकृत है, लेकिन फिर भी परिचालन प्रतिदिन करते हैं।</p>	<p>BR05PB-7301</p> <p>नि0ति0-10.06.24</p> <p>टैक्स-04.03.26</p> <p>फिट0-09.06.26</p> <p>बीमा-03.07.26</p> <p>प्रदूषण-13.08.26</p> <p>VLTD-11.06.26</p> <p>जुर्माना-नहीं</p>			<p>विवाद होने की संभावना बनी रहेगी।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में परमिट अस्वीकृत। साथ ही द्वितीय आपतिकर्ता द्वारा विना प्रतिहस्ताक्षर कराये संचालन के संबंध में अंकित वाहन संख्या- BR29PB-9595, BR28P-4304 एवं BR28P-4851 के परमिट की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु संबंधित DTO को निदेशित किया जाता है।</p>
4	<p>श्री मंजीत कुमार पिता-श्री सुरेन्द्र पुरी, ग्राम-रामपुर खजुरिया, थाना-डुमरियाघाट, जिला-पूर्वी चम्पारण</p> <p>बैनर का नाम- जय माता दी।</p>	<p>BR05PB-8194</p> <p>नि0तिथि 18.02.25</p> <p>टैक्स-09.05.26</p> <p>फिट0-17.02.27</p> <p>बीमा-16.02.27</p> <p>प्रदूषण-16.02.27</p> <p>VLTD-12.03.27</p> <p>जुर्माना-नहीं</p> <p>H.S.R.P-हों</p>	<p>सिवान-मोतिहारी मार्ग सं-2199</p> <p>सिवान प्र0-03:28</p> <p>मोतिहारीप्र0-07:04</p> <p>सिवान प्र0-10:35</p> <p>मोतिहारीप्र0-15:25</p> <p>सिवान प्र0-18:54</p> <p>मोतिहारीप्र0-22:02</p>	<p>आपतिकर्ता-जितेन्द्र कुमार सिंह, पिता-राम नरेश सिंह, परमिट सं- BR2023-SC-1498A आवृत वाहन सं- BR06PC-6753</p> <p>मार्ग-रक्सौल-सिवान, मार्ग सं-2465डा0</p> <p>आपतिकर्ता का आपति है कि :-</p> <p>आवेदक मोतिहारी प्र0-07:04</p> <p>आपतिकर्ता मोतिहारी प्र0-07:06</p> <p>अंतराल-02 मिनट</p>	<p>BR06PC-6753</p> <p>नि0ति0-28.08.15</p> <p>टैक्स-24.05.26</p> <p>फिट0-13.01.27</p> <p>बीमा-01.02.27</p> <p>प्रदूषण-06.10.26</p> <p>VLTD-24.01.27</p> <p>जुर्माना-नहीं</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-07.05.2025 को निर्गत है।</p>	<p>प्राधिकार की विगित बैठको की कार्यवाही की कडिका 5(ग)(iii) के अनुसार पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन प्रारंभिक बिन्दु होने की स्थिति में समय-अंतराल पहले या बाद में न्यूनतम 02 मिनट अनुमान्य है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में आवेदन स्वीकृत।</p>

5	<p>श्री प्रभाकर पाण्डेय, पिता-स्व० पंचानन्द पाण्डेय, ग्राम- डूमरिया, थाना- डूमरियाघाट, जिला- पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम- मों वैष्णो।</p>	<p>BR19F-1274 नि० तिथि-14.12.12 टैक्स-11.05.26 फिटनेस-17.12. 26 बीमा-03.11.26 प्रदूषण-01.08.26 VLTD-15.12.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों</p>	<p>मोतिहारी-सिवान मार्ग सं०-4077 मोतिहारी प्र०-06:54 सिवान प्र०-11:17</p>	<p>आपतिकर्ता- उमाकांत कुमार सिंह, पिता-स्व० किशोर सिंह, परमिट सं०-BR2024-SC-1333A आवृत वाहन सं०-BR05PA-1719 मार्ग-रक्सौल-गुठनी, मार्ग सं०-2181 आपतिकर्ता का आपति है कि :- (1) आवेदक के वाहन पर पूर्व से स्थायी परमिट को स्वीकृति इस शर्त पर मिला था कि 01 लाख रूपया फाईन था कि मोतिहारी DAV स्कूल में गाड़ी चलता था श्री पांडे द्वारा कहा गया था कि अपना गाड़ी DAV स्कूल में नहीं चलाउंगा, लेकिन स्थायी परमिट निर्गत होने के एक माह बाद अपनी गाड़ी को फिर 1 साल का एग्रीमेंट DAV स्कूल से कराकर परिचालन कर रहे हैं। (2) आवेदक के नाम से मुजफ्फरपुर में स्थायी आवेदन किया गया था, वाहन सं०- BR05P-3993 बस जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में वर्षों से चलता है, जिसका जॉच DTO मोतिहारी के द्वारा कराया गया। RTA सचिव, मुज० द्वारा सही पाये जाने के कारण प्राधिकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।</p>	<p>BR05PA- 1719 नि० ति०-14.07.14 टैक्स-13.04.26 फिट०-02.08.26 बीमा-02.03.27 प्रदूषण-23.11.26 VLTD-15.12.26 जुर्माना-नहीं</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-07. 05.2025 को निर्गत है।</p>	<p>आवेदित वाहन आपतित वाहन से समय अंतराल का टकराव नहीं हो रहा है, बल्कि आपतिकर्ता द्वारा यह आपति लगाया गया है कि आवेदक उक्त वाहन का परिचालन DAV स्कूल में कर रहे हैं, परन्तु उससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है कि स्कूल में बस का संचालन की बात बिल्कुल निराधार है तथा वाहन सं०- BR05P-3993 बस पूर्व में बिक्री कर दी गई है। फिर भी आवेदक द्वारा दिये गये आपति के आलोक में संबंधित DTO को निदेश दिया जाता है कि आपति के आलोक में उक्त वाहन का जॉच करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। अतः परमिट स्वीकृत।</p>
---	---	--	---	---	--	--	--



पिता-राम तपस्या
पुरी, ग्राम-रामपुर
खजुरिया, थाना-
दुमरियाघाट, जिला-
पूर्वी चम्पारण।
बैनर का नाम-
मों वैष्णव।

BR05PB-
0220
नि0तिथि 05.02.19
टैक्स-29.04.26
फिटनेश-28.04.
27
बीमा-11.04.26
प्रदूषण-07.01.27
VLTD-24.04.26
जुर्माना-नहीं
H.S.R.P-हॉ

सिवान-मोतिहारी
मार्ग सं0-2199
सिवानप्र0-06:45
मोतिप्र0-11:12
सिवानप्र0-15:33
मोतिप्र0-19:59

(1) आपतिकर्ता-श्री प्रमोद कुमार सिंह,
पिता-भरत भूषण सिंह, परमिट
सं0-BR2025-SC-2240A आवृत वाहन
सं0-BR05PB -8452
मार्ग-सिवान-मोतिहारी,
मार्ग सं0-2199डा0

(1) उपरोक्त वाहन का मेरे आगे-
आगे प्रकाशन कराये है, जिसका पूर्व में भी
मेरा आपति था कि उपरोक्त निबंधन स्कूल
बस में हुआ है, जो गाड़ी 56 सीट में है,
जबकि 5200 व्हील बेस का कोई गाड़ी 41
सीट से ज्यादा में नहीं होता है, जो 41
सीट का पैसा देता है एवं 56 सीट पर
परिचालन अवैध करता है तो ऐसे परिस्थिति
इनके द्वारा लाखों लाख सरकार का राजस्व
चोरी किया जाता है।

(2) आवेदक का वाहन सं0-BR28P-1992
का मोतिहारी प्र0 11:12 है एवं आवेदित
वाहन का भी मोतिहारी में 11:12 का
प्रकाशन कराये हैं।

(2) आपतिकर्ता-श्रीमती संगीता कुमारी
पति-देवेन्द्र कुमार, परमिट सं0- BR2023-
SC-2521A आवृत वाहन सं0-BR06PF
-0314 मार्ग- सिवान-रक्सौल, मार्ग
सं0-2465

आपतिकर्ता का आपति है कि वाहन
सं0-BR19F-1274 का परमिट सिवान-
मोतिहारी तक का पूर्व से निर्गत है। उक्त
वाहन एवं आवेदित वाहन का सिवान में
प्रस्थान का समय निम्नवत् है:-
आवेदक सिवान प्र0-06:45
वा0सं0-BR19F-1274-सिवान प्र0-06:45
अंतराल-00 मिनट

BR05PB-
8452
नि0ति0-06.05.25
टैक्स-04.05.26
फिट0-05.05.27
बीमा-11.05.26
प्रदूषण-05.05.26
VLTD-04.06.27
जुर्माना-नहीं

आवेदित वाहन
परमिट से आवृत है,
जो इस प्राधिकार से
दिनांक-10.07.2025
को निर्गत है।

BR06PF-
0314
नि0ति0-02.12.20
टैक्स-27.02.26
फिट0-01.12.26
बीमा-28.11.26
प्रदूषण-15.01.26
VLTD-28.08.26
जुर्माना-नहीं

प्रथम आपतिकर्ता के द्वारा
लगाये गये द्वितीय आपति
का अवलोकन एवं वर्णित
वाहन सं0-BR28P-1992
पर आवृत परमिट के समय
सारणी की जाँच की गई।
जाँच के क्रम में पाया गया
कि वाहन सं0-BR28P-
1992 के परमिट में कहीं भी
मोतिहारी में प्रस्थान का
समय 11:12 नहीं है। उक्त
से स्पष्ट होता है कि
आपतिकर्ता द्वारा अनावश्यक
रूप से प्राधिकार का समय
नष्ट करने के लिए इस
प्रकार की आपति दर्ज कराई
गई है। अतः गलत आपति
समर्पित करने के कारण
आपतिकर्ता के वाहन सं0-
BR05PB-8452 पर मो0
5000/- रुपये का दंड
अधिशोषित किया जाता है
तथा चेतावनी दी जाती है
कि भविष्य में बिना पुख्ता
साक्ष्य के आपति दिये जाने
पर नियमानुसार सख्त
कार्रवाई की जायेगी।
द्वितीय आपति के संबंध
में स्पष्ट करना है कि
BR19F-1274 के वाहन
स्वामी द्वारा पूर्व से धारित
परमिट को प्रत्यर्पण करने
हेतु कार्यालय में आवेदन
समर्पित किया गया है तथा
ऐजेण्डा क्रमांक-5 पर उक्त
वाहन का नये समय-सारणी
का परमिट स्वीकृत है।
इसलिए उक्त आवेदन के
स्वीकृत होने के कारण
उनका पूर्व के सिवान में
प्रस्थान के समय 06:45 में
परिवर्तन हो रहा है।
अतः उक्त के आलोक में
परमिट स्वीकृत।

<p>7 श्री देवेन्द्र कुमार पिता-शुभमका प्रसाद पत्नी-शुभाशुभ पिता, मोतिहारी। बैंकर का नाम- NRA मुंबई।</p>	<p>BR06PF-7591 निर्दिष्टि-26.07.23 टैक्स-25.04.26 फिटनेस-24.07.27 बीमा-13.03.27 प्रदूषण-07.08.26 VLTD-23.08.26 जुर्माना-नहीं HSRP-हैं</p>	<p>सिवान-मोतिहारी मार्ग सं-2199 सिवान प्र-0840 मोतिहारी प्र-0956 सिवान प्र-1452 मोतिहारी प्र-1750 सिवान प्र-2040 मोतिहारी प्र-2340</p>	<p>श्री आनोक कुमार पाण्डेय पिता- श्री राम ऐकवाल पाण्डेय परमिट सं- BR2024-SC-2199A आवृत वाहन सं- BR01PJ-8639 मार्ग-रक्तौल -सिवान, मार्ग सं-2465डा0 आपत्तिकर्ता का आपत्ति है कि :- आवेदक मोतिहारी प्र-1750 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र-1750 अंतराल-00 मिनट आपत्तिकर्ता का क्रमांक-01 पर आवेदित है, जो पहले आओ पहले पाओ तहत मुझे वरीयता प्राप्त है।</p>	<p>BR01PJ-8639 निर्दिष्टि 14.02.19 टैक्स-12.05.26 फिटो-20.04.27 बीमा-03.07.26 प्रदूषण-07.02.27 VLTD-22.04.26 जुर्माना-नहीं</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-14.12. 2023 को निर्गत है।</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-14.12. 2023 को निर्गत है। -सारणी प्र-07 पर आवेदित वाहन का समय- सारणी के द्वितीय ट्रिप में मुख्य बिंदु मोतिहारी में प्र-0 का समय समान है। अतः प्राधिकार के पूर्व निर्णय के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के मद्देनजर चतुर्थ ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।</p>
<p>8 श्री हरेश राव पिता-श्री मदन गोपाल राव पत्नी-कैरेश सं- जीनरा दुबे धान-भोरे पिता- गोपालगंज। बैंकर का नाम - मेघदुत।</p>	<p>BR28B-3841 निर्दिष्टि-08.03.08 टैक्स-26.04.26 फिटनेस-09.12.26 बीमा-27.02.27 प्रदूषण-25.03.26 VLTD-01.01.27 जुर्माना-नहीं HSRP-हैं</p>	<p>जगदीशपुर- गोपालगंज मार्ग सं-3860 जगदीशपुर-0915 गोपालगंज प्र-1200</p>	<p>आपत्ति प्राप्त नहीं।</p>		<p>आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।</p>	<p>स्वीकृत।</p>
<p>9 श्री हरेश राव पिता-श्री मदन गोपाल राव पत्नी-कैरेश सं- जीनरा दुबे धान-भोरे पिता- गोपालगंज। बैंकर का नाम - मेघदुत।</p>	<p>BR01PK-1112 निर्दिष्टि-25.03.20 टैक्स-06.06.26 फिटनेस-27.02.27 बीमा-23.02.2027 प्रदूषण-26.04.26 VLTD-08.04.27 जुर्माना-नहीं HSRP-हैं</p>	<p>पनर-गोपालगंज मार्ग सं-4101 पनर प्र-0455 गोपालगंज प्र-0725 पनर प्र-0940 गोपालगंज प्र-1320</p>	<p>आपत्ति प्राप्त नहीं।</p>		<p>आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।</p>	<p>स्वीकृत।</p>

<p>पिता- दीनानाथ राय, ग्राम- पाण्डेयपुर पो- डुमरहर थाना- गुठनी, जिला- सारण बैनर का नाम- आदित्य विनित।</p>	<p>BR29PA-0160 नि0तिथि 20.06.15 टैक्स-15.03.26 फिट0-22.08.26 बीमा-14.05.26 प्रदूषण-02.07.26 VLTD-17.08.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ</p>	<p>मेहरौना-सिवान मार्ग सं0-3696 मेहरौना प्र0-07-20 सिवान प्र0-08-53 मेहरौना प्र0-09-48 सिवान प्र0-11-28 मेहरौना प्र0-13-15 सिवान प्र0-15-39</p>	<p>(1) आपतिकर्ता-श्री पुष्पेन्द्र राय, पिता-राम ईकवाल पांडे, परमिट सं0-BR2025-SC-3255A आवृत वाहन सं0-BR29K-5580 मार्ग-मेहरौना-सिवान, मार्ग सं0-3696 आपतिकर्ता का आपति है कि:- आवेदक के वाहन पर आयुक्त महोदय द्वारा नगर थाना, छपरा में केस दर्ज कर रखा है, जिसका अभी तक बेल नहीं हुआ है, बेल ना होने के पश्चात् इन्होंने अपना वाहन का परमिट के लिए आवेदन दिया है। उपरोक्त बातों पर विचार किया जाए इनकी वाहन पर जो केस दर्ज है, जो जाली बीमा के कारण किया गया है।</p> <p>(2) आपतिकर्ता-श्री राजहंस तिवारी पिता-केदारनाथ तिवारी, परमिट सं0-BR/109/SC/2016/30 आवृत वाहन सं0-BR29PA-0721 मार्ग- मार्ग सं0- आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:-</p> <table border="1" data-bbox="997 1036 1512 1346"> <thead> <tr> <th></th> <th>आवेदक (दूसरा खेप)</th> <th>आपतिकर्ता (दूसरा खेप)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सिवान प्र0-</td> <td>11:28</td> <td>11:32</td> </tr> <tr> <td>समय अंतराल-04 मिनट</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(तिसरा खेप)</td> <td>(तिसरा खेप)</td> </tr> <tr> <td>सिवान प्र0-</td> <td>15:39</td> <td>15:38</td> </tr> <tr> <td>समय अंतराल-01 मिनट.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		आवेदक (दूसरा खेप)	आपतिकर्ता (दूसरा खेप)	सिवान प्र0-	11:28	11:32	समय अंतराल-04 मिनट				(तिसरा खेप)	(तिसरा खेप)	सिवान प्र0-	15:39	15:38	समय अंतराल-01 मिनट.			<p>BR29K-5580 नि0ति0-25.05.12 टैक्स-24.05.26 फिट0-12.03.26 बीमा-15.06.26 प्रदूषण-11.03.26 VLTD-28.03.26</p> <p>BR29PA-0721 नि0ति0-16.10.15 टैक्स-13.04.26 फिट0-20.12.25 बीमा-06.12.26 प्रदूषण-25.07.26 VLTD-_____</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-25.02.2021 को निर्गत है।</p> <p>आपतिकर्ता के वाहन की विवरणी: BR29PA-0721 नि0ति0-16.10.15 टैक्स-13.04.26 फिट0-22.01.27 बीमा-06.12.26 प्रदूषण-25.07.26 VLTD-12.02.27 परमिट-28.01.26</p>	<p>कार्यालय पत्रांक- 219/परि0, दिनांक-21.05.2025 द्वारा आवेदक के वाहन सं0-BR29PA-0160 के विरुद्ध फर्जी बीमा पाये जाने के कारण प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो न्यायालय के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है, परन्तु वर्तमान में आवेदक द्वारा आवेदित वाहन का बीमा एवं अन्य कागजातों की जाँच वाहन पोर्टल पर की गई। उक्त वाहन पोर्टल के अनुसार सभी कागजात अद्यतन है। द्वितीय आपति के जाँच के क्रम में पाया गया कि आपतिकर्ता के वाहन का परमिट की वैधता दिनांक-28.01.26 को समाप्त हो गई है। जबकि प्राधिकार की गत बैठक के कार्यवाही की कडिका 8(सामान्य निदेश) के उक्त कडिका-vi में अंकित है कि आपतिकर्ता के वाहन का सभी मान्य कागजात अद्यतन होने पर ही आपति पर विचार किया जायेगा। अतः उक्त के आलोक में आपति अमान्य एवं परमिट स्वीकृत।</p>
	आवेदक (दूसरा खेप)	आपतिकर्ता (दूसरा खेप)																						
सिवान प्र0-	11:28	11:32																						
समय अंतराल-04 मिनट																								
	(तिसरा खेप)	(तिसरा खेप)																						
सिवान प्र0-	15:39	15:38																						
समय अंतराल-01 मिनट.																								

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

11.	श्रीमती कस्तुरवा देवी, पति- स्व0 त्रिभुवन नारायण सिंह, ग्राम+पो0-अमलौरी, थाना-सिवान मुफ्फसिल, जिला-सिवान। बैनर का नाम-सतिश बिहार।	BR29PA-8021 नि0तिथि 24.11.15 टैक्स-22.05.26 फिटनेश-16.12.26 बीमा-16.11.26 प्रदूषण-12.09.26 VLTD-28.05.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	सिवान-गोपालगंज मार्ग सं0-2191 सिवान प्र0-07:16 गोपालगंजप्र0-09:47 सिवान प्र0-11:16 गोपालगंजप्र0-13:47 सिवान प्र0-15:05 गोपालगंजप्र0-17:50	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-25.02.2021 को निर्गत है।	स्वीकृत।
12.	श्री अनिल सिंह, पिता-शिवजी सिंह, ग्राम+पो.-बड़कागाँव थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज बैनर का नाम-अतुल बिहार।	BR29H-5077 नि0तिथि-10.06.11 टैक्स-31.05.26 फिटनेश-08.10.26 बीमा-24.09.26 प्रदूषण-26.09.26 VLTD-12.07.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	दिघवा दिघौली-सिवान मार्ग सं0-4031 दिघवा दिघौली प्र0-06:45 सिवान प्र0-13:26	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।
13.	श्री अरविन्द सिंह, पिता-स्व0 मनेजर राय, ग्राम-धमर, पो0-सरहरवा, थाना-मैरवा, जिला-सिवान। बैनर का नाम-आशीवाद।	BR06PC-3210 नि0तिथि 03.09.14 टैक्स-27.05.26 फिटनेश-01.01.27 बीमा-15.07.26 प्रदूषण-15.12.26 VLTD-10.01.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	मेहरौना-सिवान मार्ग सं0-3696 मेहरौना प्र0-05:40 सिवान प्र0-07:20 मेहरौना प्र0-09:20 सिवान प्र0-12:12 मेहरौना प्र0-13:45 सिवान प्र0-15:23	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।
14.	श्री अरुण कु0 सिंह, पिता-विश्वनाथ सिंह, ग्राम-सैदनपुर, पो0-खंनजहाँ चक, थाना-लालगंज, जिला-वैशाली। बैनर का नाम-बब्लू बिहार।	BR06PD-0251 नि0तिथि-24.06.16 टैक्स-03.06.26 फिटनेश-05.12.26 बीमा-05.01.27 प्रदूषण-02.12.26 VLTD-27.02.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	छपरा -महम्मदपुर मार्ग सं0-3764 छपरा प्र0-02:11 महम्मदपुरप्र0-05:08 छपरा प्र0-09:30 महम्मदपुरप्र0-12:25 छपरा प्र0-16:40 महम्मदपुरप्र0-19:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-11.03.2025 को निर्गत है।	स्वीकृत।

	श्री कुमार तिवारी, पिता- श्री शिवपुजन तिवारी, ग्राम+पो-मोथहन, थाना-मढ़ौरा, जिला-सारण। बैनर का नाम- अभिषेक रंजन।	BR04J-1811 नि0तिथि-14.03.11 टैक्स-30.04.26 फिटनेश-06.04. 26 बीमा-10.09.26 प्रदूषण-15.03.27 VLTD-27.02.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-नहीं।	छपरा-मशरक मार्ग सं0-2164 छपरा प्र0-10:50 मशरक प्र0-13:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है। आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं है।	आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं होने के कारण मो0 5000/- रूपये जुर्माना तथा HSRP अधिष्ठापित कराकर साक्ष्य उपलब्ध कराने के शर्त पर परमिट स्वीकृत।
16.	श्री सुरेन्द्र शर्मा, पिता-माधव प्रसाद सिंह, पता- साघनापुरी, छपरा, सारण। बैनर का नाम- शर्मा बस।	BR04PA- 9666 नि0तिथि-26.11.25 टैक्स-18.05. 2026 फिटनेश-25.11. 27 बीमा-18.11.26 प्रदूषण-25.11.26 VLTD-20.12.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	रघुनाथपुर-छपरा मार्ग सं0-4094 रघुनाथपुरप्र0-03:5 6 छपरा प्र0-06:40 रघुनाथपुरप्र0-10:5 5 छपरा प्र0-15:29	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।
17.	श्री सुरेन्द्र शर्मा, पिता-माधव प्रसाद सिंह, पता- साघनापुरी, छपरा, सारण। बैनर का नाम- शर्मा बस।	BR04PA- 9266 नि0तिथि-26.11.25 टैक्स-14.05.26 फिटनेश-25.11.27 बीमा-18.11.26 प्रदूषण-25.11.26 VLTD-16.12.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	दरौली-छपरा मार्ग सं0-3981 दरौली प्र0-03:00 छपरा प्र0-08:59 दरौली प्र0-13:05 छपरा प्र0-18:50	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।
18.	श्री विकाश राय, पिता-दीनानाथ राय, ग्राम-पाण्डेयपार, पो0-डुमरहर खुर्द, थाना-गुठनी, जिला-सारण। बैनर का नाम- जय बाबा अमरनाथ।	BR29PB- 1345 नि0तिथि-14.07.25 टैक्स-13.04.26 फिटनेश-13.07.27 बीमा-13.07.26 प्रदूषण-13.07.26 VLTD-14.08.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	मेहरौना-सिवान मार्ग सं0-3696 मेहरौना प्र0-06:59 सिवान प्र0-09:14 मेहरौना प्र0-10:25 सिवान प्र0-13:11 मेहरौना प्र0-15:10 सिवान प्र0-16:44	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।

19.	श्री अजीत कुमार तिवारी, पिता- विष्णुदेव तिवारी, ग्राम-तिवारी चकिया पो0-हुस्सेपुर, थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज। बैनर का नाम- यादव स्थ।	BR28P-2084 नि0तिथि 25.01.20 टैक्स-12.06.26 फिट0-15.03.28 बीमा-24.08.26 प्रदूषण-23.07.26 VLTD-21.03.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	गोपालगंज-पगरा मार्गसं0-4101डा0 गोपालगंज प्र0-03:40 पगरा प्र0-06:25 गोपालगंज प्र0-13:05 पगरा प्र0-16:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-23.02.2023 को निर्गत है।	स्वीकृत।
20.	श्री संजीव कुमार, पिता-स्व0 मुनि सिंह ग्राम-चौरौली, थाना -भगवानपुर हाट, जिला-सिवान। बैनर का नाम- अतुल आनन्द।	BR29PB- 1444 नि0तिथि-28.08.25 टैक्स-26.05.26 फिट0-25.08.27 बीमा-03.07.26 प्रदूषण-27.08.26 VLTD-11.08.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	छपरा-महम्मदपुर मार्ग सं0-3764डा0 महम्मदपुरप्र0-03:35 छपरा प्र0-06:59 महम्मदपुरप्र0-09:50 छपरा प्र0-15:01 महम्मदपुरप्र0-17:50 छपरा प्र0-21:15	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।
21.	श्रीकान्त ओझा, पिता-स्व0 हरिहर ओझा, ग्राम+पो0+ थाना-सहाजितपुर, जिला-छपरा। बैनर का नाम- रोहित मोहित ट्रेवल्स।	BR01PP- 4319 नि0तिथि 18.10.22 टैक्स-24.05.26 फिट0-25.10.26 बीमा-21.08.26 प्रदूषण-01.11.26 VLTD-18.01.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	महम्मदपुर-छपरा मार्ग सं0-3764 महम्मदपुरप्र0-03:20 छपरा प्र0-12:40 महम्मदपुरप्र0-15:55 छपरा प्र0-20:02	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-03.01.2025 को निर्गत है।	स्वीकृत।
22.	श्री मोहित कुमार ओझा, पिता- श्रीकान्त ओझा, ग्राम+पो0+ थाना -सहाजितपुर, जिला-छपरा। बैनर का नाम- रोहित मोहित ट्रेवल्स।	BR01PE- 7849 नि0तिथि 13.03.14 टैक्स-05.05.26 फिट0-13.03.27 बीमा-28.11.26 प्रदूषण-11.08.26 VLTD-18.03.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	छपरा-सिवान मार्गसं0-3733डा. छपरा प्र0-04:48 सिवान प्र0-10:30 छपरा प्र0-13:55 सिवान प्र0-17:23	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-02.11.2024 को निर्गत है।	स्वीकृत।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	शु कुमार यादव, पिता- श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम- किशुनदेव छपर, पो0-कोयलादेवा, थाना-फुलवरिया, जिला-गोपालगंज। बैनर का नाम- दीपक ट्रेवल्स।	BR28C-3705 नि0तिथि 01.10.09 टैक्स-31.03.26 फिटनेश-26.05. 26 बीमा-08.05.26 प्रदूषण-17.06.26 VLTD-06.06.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-नहीं	वृत्ति टोला- गोपालगंज मार्गसं0-2216 वृत्ति टोलाप्र0-06:20 गोपालगंजप्र0-10:00	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है। आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं है।	आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं होने के कारण मो0 5000/- रुपये जुर्माना तथा HSRP अधिष्ठापित कराकर साक्ष्य उपलब्ध कराने के शर्त पर परमिट स्वीकृत।
24	श्री जनक यादव, पिता-श्री गोपाल यादव, ग्राम+पो0- काही, थाना- जलालपुर, जिला- सारण। बैनर का नाम- मोले शंकर।	BR44P-8126 नि0तिथि 06.06.23 टैक्स-05.06.26 फिटनेश-01.06. 27 बीमा-29.04.26 प्रदूषण-15.06.25 VLTD-22.05.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	छपरा-महम्मदपुर मार्गसं0-3764 छपरा प्र0-03:25 महम्मदपुरप्र0-06:40 छपरा प्र0-11:12 महम्मदपुरप्र0-16:40	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-03.06.2025 को निर्गत है।	स्वीकृत।
25	श्री प्रमात्मा सिंह, पिता-श्री वकिल सिंह, ग्राम- मलमलिया कौरिया, पो0-बसंतपुर, थाना-भगवानपुर, जिला-सारण। बैनर का नाम- जय माँ वैष्णो देवी	BR04PA- 0909 नि0तिथि 07.02.17 टैक्स-24.04.26 फिटनेश-16.03. 27 बीमा-20.05.26 प्रदूषण-06.03.27 VLTD-09.04.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	दिघवादुवौली- सिवान मार्गसं0-4031 दिघवादुवौली प्र0 -07:20 सिवान प्र0-10:45 दिघवादुवौली प्र0 -12:45 सिवान प्र0-16:25	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।
26	श्री धनंजय यादव, पिता-श्री यमुनन्दन यादव, ग्राम- नगर पंचायत मिरगंज स्टेशन रोड, पो0+थाना- मिरगंज, जिला-गोपालगंज। बैनर का नाम- श्रेया श्री।	BR29PB- 4014 नि0तिथि 07.02.17 टैक्स-24.04.26 फिटनेश-19.10. 27 बीमा-16.10.26 प्रदूषण-19.10.26 VLTD-16.11.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	पगरा-गोपालगंज मार्गसं0-4101 पगरा प्र0 -07:24 गोपालगंजप्र0-13:35	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।

27	श्री ओम प्रकाश एन यादव, पिता-श्री नौबत रावत, ग्राम+पो0-मुस्तफाबाद, थाना-गोरेयाकोठी, जिला-सिवान। बैनर का नाम-गुरु कृपा।	BR06PD-3764 नि0तिथि 11.05.17 टैक्स-29.06.26 फिट0-13.06.26 बीमा-06.06.26 प्रदूषण-24.04.26 VLTD-16.06.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	दुधरा- सिवान मार्गसं0-3968 दुधरा प्र0 -05:33 सिवान प्र0-08:04 दुधरा प्र0 -09:20 सिवान प्र0-13:17 दुधरा प्र0 -15:20 सिवान प्र0-17:05	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।
28	श्री आदित्य कुमार, पिता-श्री जय प्रकाश यादव, ग्राम+पो0- कचनार, थाना-सिसवन, जिला-सिवान। बैनर का नाम-कृष्ण मुरारी।	BR04Q-8951 नि0तिथि 23.01.16 टैक्स-19.05.26 फिट0-31.08.26 बीमा-02.07.26 प्रदूषण-22.08.26 VLTD-26.08.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-नहीं	छपरा - सिवान मार्गसं0-3959 छपरा प्र0 -05:25 सिवान प्र0-13:15	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-26.02.2018 को निर्गत है। आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं है।	आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं होने के कारण मो0 5000/- रुपये जुर्माना तथा HSRP अधिष्ठापित कराकर साक्ष्य उपलब्ध कराने के शर्त पर परमिट स्वीकृत।
29	श्री घनंजय सिंह, पिता-श्री मंगल सिंह, ग्राम-करसाघाट, पो0-झझवां, गोपालगंज। बैनर का नाम-प्रियांसु।	BR28L-1633 नि0तिथि 18.03.15 टैक्स-03.06.26 फिट0-15.12.26 बीमा-11.12.26 प्रदूषण-15.12.26 VLTD-04.01.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	छपरा - मोतिहारी मार्गसं0-3972 छपरा प्र0 -03:56 मोतिहारी प्र0-08:26	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

कादावली संख्या-3(ii) बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु दिनांक-01.02.26 से 07.02.26 तक प्राप्त आवेदनों एवं आपतियों पर विचारणः

प्राप्त आवेदनों की विवरणी				प्राप्त आपत्ति से संबंधित विवरणी	कार्यालय स्तर पर की गई समीक्षा की विवरणी			
क्रं	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातों की वैधता	मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन की विवरणी	कार्यालय का तथ्य	कार्यालय तथ्य में वर्णित वाहन की विवरणी	निर्णय
30	श्री प्रमोद कुमार सिंह, पिता-भारत भूषण सिंह, पता-झखड़ा पिपरा कोठी, पू० चम्पारण। बैनर का नाम-रमणा।	BR05PB-9510 नि०तिथि 22.01.26 टैक्स-20.04.26 फिट०-21.01.28 बीमा-20.01.27 प्रदूषण-21.01.27 VLTD-22.01.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	मोतिहारी-सिवान मार्गसं०-4077डा० मोतिहारी प्र०-04:39 सिवान प्र०-09:55 मोतिहारी प्र०-12:38 सिवान प्र०-15:28	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।		स्वीकृत।
31	श्री प्रमोद कुमार सिंह, पिता-भारत भूषण सिंह, पता-झखड़ा पिपरा कोठी, पू० चम्पारण। बैनर का नाम-रमणा।	BR05PB-8452 नि०तिथि 06.05.25 टैक्स-04.05.26 फिट०-05.05.27 बीमा-11.05.26 प्रदूषण-05.05.26 VLTD-04.06.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	सिवान-मोतिहारी मार्गसं०-2199 सिवान प्र०-03:23 मोतिहारी प्र०-07:38 सिवान प्र०-10:29 मोतिहारी प्र०-15:20	आपत्तिकर्ता-मंजित कुमार, पिता-सुरेन्द्र पुरी, परमिट सं०- BR2025-SC-1239A आवृत वाहन सं०- BR05PB-8194, मार्ग-सिवान-मोतिहारी, मार्ग सं०-2199 आपत्तिकर्ता का आपत्ति है कि :- (1) आवेदक मेरे पूर्व के प्रकाशित समय-सारणी के 2 मिनट आगे सिवान से मोतिहारी एवं मोतिहारी से सिवान समय-सारणी का आवेदन किए है। (2) आवेदक का एक अन्य वाहन सं०-BR05PB-0347 परमिट सं०-BR2025&SC-3002A है, जो सिवान से मोतिहारी आपके प्राधिकार से निर्गत है, और बिना प्रतिहस्ताक्षर का परिचालन करते हैं। इन्हीं का परमिट से समय का टकराव सेम टू सेम भी हो रहा है, जो निम्न है:- (BR05PB- 8452) (BR05PB- 0347) (क) खजुरिया प्र०- 08:45 08:44 (ख) मोहम्मदपुर प्र०- 08:59 08:59 (ग) गोपालगंज प्र०- 09:38 09:37 (घ) मीरगंज प्र०- 09:57 09:57 (3) आवेदक का आवेदन में मीरगंज से सिवा की दूरी 17 कि०मी० दर्शाया है तथा मीरगंज से सिवान 16 कि०मी० दर्शाये है, जो भिन्न है।	BR05PB-8194 नि०ति०-18.02.25 टैक्स-09.05.26 फिट०-17.02.27 बीमा-16.02.27 प्रदूषण-16.02.27 VLTD-12.03.27	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-13.08.2025 को निर्गत है।		कार्यालय अभिलेख के अनुसार आवेदक श्री प्रमोद कुमार सिंह का वाहन सं०-BR05PB-347 का परमिट इस प्राधिकार से निर्गत है, जिसका समय-सारणी से आवेदित वाहन के द्वितीय ट्रिप के समय-सारणी के कई बिंदुओं के साथ टकराव हो रहा है। अतः उक्त के आलोक में प्रथम ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।
32	श्री आशु कुमार	BR29M-1686	मेहरौना-सिवान			आवेदित वाहन परमिट		आवेदक द्वारा परमिट



	राय, पिता- धर्मेश्वर राय, ग्राम-डुमरहर बुर्जुग, पो-डुमरहर खुर्द, जिला-सिवान बैनर का नाम- जय सियाराम कम्पनी	नि0तिथि-15.3.13 टैक्स-14.06.26 फिटनेश-08.12.26 बीमा-10.02.27 प्रदूषण-03.01.27 VLTD-05.01.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	मार्ग सं0-3696 मेहरीना प्र0-07:40 सिवान प्र0-09:55 मेहरीना प्र0-10:53 सिवान प्र0-12:07 मेहरीना प्र0-13:22 सिवान प्र0-15:00 मेहरीना प्र0-16:12 सिवान प्र0-17:13	आपत्ति प्राप्त नहीं।		से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-07. 04.2025 को निर्गत है।	हंतु समर्पित शपथ में अंकित किया गया है कि मेरे बैनर का नाम जय सियाराम कम्पनी है, जबकि आवेदित वाहन के फोटो पर जय सियाराम अंकित है। अतः उक्त के आलोक में मो0 5000/- जुर्माना जमा करने एवं जय सियाराम कम्पनी के बैनर का फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के शर्त के साथ परमिट स्वीकृत।
33	श्री रवि भुषण सिंह पिता-स्व0 शम्भु प्र0 सिंह, ग्राम+पो0- किशुनपाली, थाना- दरौली, जिला-सिवान। बैनर का नाम- मानिनी।	BR29M-5835 नि0तिथि 17.05.13 टैक्स-16.05.26 फिट0-08.09.26 बीमा-04.09.26 प्रदूषण-12.08.26 VLTD-17.08.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	दरौली-सिवान मार्ग सं0-3663 दरौली प्र0-08:00 सिवान प्र0-10:16 दरौली प्र0-13:25 सिवान प्र0-15:59	आपत्ति प्राप्त नहीं।		. आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-20. 05.2020 को निर्गत है।	स्वीकृत।
34	श्री राम प्रशन पाण्डेय, पिता-सुद र्शन पाण्डेय, ग्राम- धर्म परसा, गोपालगंज बैनर का नाम- आदर्श बिहार।	BR28P-3016 नि0तिथि-23.09.21 टैक्स-15.06.26 फिट0-24.09.27 बीमा-15.09.26 प्रदूषण-10.06.26 VLTD-21.09.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	बढ़ैया-गौशाला रोड सिवान मार्ग सं0- 3784 डा0 बढ़ैया प्र0-07:02 गौशाला रोड सिवान प्र0-10:10 बढ़ैया प्र0-13:03 गौशाला रोड सिवान प्र0-16:12	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक- 19.10.2023 को निर्गत है।	स्वीकृत।



<p>जतिन्द्र कुमार सिंह, पिता- किशुनदेव प्रो सिंह, भवानीगंज, मंझा, गोपालगंज। बैनर का नाम- तीर्थ ट्रेवल्स।</p>	<p>BR28P-4185 नि0तिथि 20.03.25 टैक्स-16.06.26 फिट0-19.03.27 बीमा-10.03.27 प्रदूषण-15.03.27 VLTD-19.04.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों</p>	<p>सिवान-मोतिहारी मार्ग सं0-2199 सिवानप्र0-06:00 मोति0प्र0-09:28 सिवानप्र0-13:41 मोति0प्र0-18:40</p>	<p>आपतिकर्ता-आलोक कुमार पांडे, पिता-राम ईकबाल पांडे, परमिट सं0- BR2024-SC-2063A आवृत वाहन सं0- BR05PB-7388, मार्ग-रक्सौल-सिवान, मार्ग सं0-2465 आपतिकर्ता का आपति है कि :- (1) आवेदक का आवेदित वाहन परमिट से युक्त है जिसका परमिट सं0- BR2025-SC-2219A है, जो सारण प्राधिकार से लगभग छः माह पूर्व से निर्गत है, परन्तु उसका प्रतिहस्ताक्षर अभी तक नहीं कराया गया तथा पुनः प्रकाशन कर दिया गया है। (2) आवेदक का आवेदित वाहन का पूर्व का परमिट दिनांक-09.08.25 तारीख को निर्गत हुआ है तथा प्राधिकार का निर्णय है कि निर्गत परमिट के छः माह के पश्चात् ही उक्त वाहन का पुनः आवेदन देना है लेकिन उक्त निर्णय के अनुसार आवेदक का छः माह 09.02.26 को पूरा हो रहा है, लेकिन वे छः माह के ही पूर्व नया परमिट हेतु आवेदन कर दिए हैं। (3) आवेदक का महम्मदपुर 7:42 है तथा एक अन्य वाहन सं0-BR28E-6290 परमिट सं0-BR/109/SC/2019/95 सारण प्राधिकार से निर्गत है, जिसका महम्मदपुर 7:41 है, जबकि समय अंतराल 02 मिनट होना चाहिए।</p>	<p>BR05PB-7388 नि0ति0-05.07.24 टैक्स-29.03.26 फिट0-04.07.26 बीमा-03.07.26 प्रदूषण-14.07.26 VLTD-24.07.26</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-09.08.2025 को निर्गत है। जहाँ तक पूर्व के परमिट छः माह पुरा होने की बात है, तो स्पष्ट है कि बैठक की तिथि तक छः माह से अधिक हो रहा है।</p>	<p>इस प्राधिकार द्वारा पूर्व से निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर नहीं कराये जाने के कारण मो0 5000/-रु0 का जुर्माना एवं प्रथम खेप में महम्मदपुर बाईपास के साथ परमिट स्वीकृत।</p>										
<p>36 श्री उमाकान्त कुमार सिंह, पिता-स्व0 किशोरी सिंह, मठिया जिरात, छत्तीनी पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम- रमणा</p>	<p>BR05PA-1719 नि0तिथि-14.07.14 टैक्स-13.04.26 फिट0-02.08.26 बीमा-02.03.27 प्रदूषण-23.11.26 VLTD-15.12.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-</p>	<p>रक्सौल-गुठनी मार्ग सं0-2181 रक्सौल प्र0-04:50 गुठनी प्र0-10:34</p>	<p>आपतिकर्ता-अभिषेक कुमार, पिता-राम तपस्या पूरी, परमिट सं0- BR2025-SC-2056A आवृत वाहन सं0- BR05PB-0220, मार्ग-मोतिहारी-सिवान, मार्ग सं0-4077डा0 आपतिकर्ता द्वारा ठहराव बिंदुओं के मध्य दूरी के बिंदु पर आपति की गई है, जो आवेदक एवं आपतिकर्ता के अनुसार निम्नवत् है:- <table border="1" data-bbox="907 1326 1587 1533"> <thead> <tr> <th>आवेदक</th> <th>आपतिकर्ता</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(क) महम्मदपुर-गोपा0-</td> <td>30 Km 32 Km</td> </tr> <tr> <td>(ख) रक्सौल-नरकटिया-</td> <td>22 Km 24 Km</td> </tr> <tr> <td>(ग) नरकटिया-लखौड़ा-</td> <td>12 Km 13 Km</td> </tr> <tr> <td>(घ) लखौड़ा-मोति-</td> <td>11 Km 17 Km</td> </tr> </tbody> </table> साथ ही आवेदित बस 11 साल 6 महीना के है, जिसे 400 कि0मी0 की अंदर परिचालन होना है। लेकिन गलत कि0मी0 दर्शाकर अपनी दूरी 400 कि0मी0 किया गया है। (2) आवेदक ने मेरे पूर्व के प्रकाशन क्रमांक-5 पर आगे-आगे सिवान से मोतिहारी तक प्रकाशन किये है, जो वाहन सं0-BR19F-1274 इसके आगे वाहन सं0-BR05PA-1719 का आवेदन किए हैं।</p>	आवेदक	आपतिकर्ता	(क) महम्मदपुर-गोपा0-	30 Km 32 Km	(ख) रक्सौल-नरकटिया-	22 Km 24 Km	(ग) नरकटिया-लखौड़ा-	12 Km 13 Km	(घ) लखौड़ा-मोति-	11 Km 17 Km	<p>BR05PB-0220 नि0ति0-05.02.19 टैक्स-29.04.26 फिट0-28.04.27 बीमा-03.07.26 प्रदूषण-11.04.26 VLTD-24.04.26</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-31.07.2024 को निर्गत है।</p>	<p>आपति के आलोक में रक्सौल से गुठनी मार्ग सं0-2181 की दूरी वाहन पोर्टल पर जाँच की गई, जाँच के क्रम में उक्त दूरी 173कि0 मी0 एवं आवेदक के द्वारा दिये गये रूट का नक्शा से उक्त रूट की दूरी 200कि0मी0 जबकि आवेदक द्वारा अपने आवेदित समय- सारणी में नक्शा के अनुसार मीरगंज से गोपालगंज की दूरी 16कि0मी0 के स्थान पर 15कि0मी0 अंकित किया गया है जिसके अनुसार उक्त मार्ग की कुल दूरी 199कि0मी0 है। साथ ही गुगल मैप पर लखौरा से मोतिहारी की दूरी</p>
आवेदक	आपतिकर्ता															
(क) महम्मदपुर-गोपा0-	30 Km 32 Km															
(ख) रक्सौल-नरकटिया-	22 Km 24 Km															
(ग) नरकटिया-लखौड़ा-	12 Km 13 Km															
(घ) लखौड़ा-मोति-	11 Km 17 Km															

							<p>17कि०मी० पाया गया जबकि आवेदक द्वारा आवेदन में 11कि० मी० की दूरी अंकित किया गया है।</p> <p>ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मार्ग की दूरी संबंधित DTO से कराने के पश्चात् ही परमिट निर्गत किया जाना श्रेयष्कर होगा। चूंकि आवेदक का वाहन 11 साल पुरानी है एवं 10 वर्ष पुरानी वाहन का प्रतिदिन परिचालन 400कि० मी० से अधिक नहीं किया जाना है।</p> <p>अतः वर्णित स्थिति में परमिट की स्वीकृती इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रश्नगत मार्ग की स्पष्ट दूरी का प्रतिवेदन संबंधित DTO से प्राप्त होने के पश्चात् परमिट निर्गमण की कार्रवाई की जायेगी।</p>
37	श्रीमती सीमा कुमारी, पति-श्री मुन्ना कुमार सिंह, ग्राम+पो- कौरिया, थाना- भगवानपुर, जिला-सिवान बैनर का नाम मुन्ना डिलक्स।	BR29N-7276 नि०तिथि-09.10.13 टैक्स-08.04.26 फिटनेश-06.01.27 बीमा-28.12.26 प्रदूषण-06.10.26 VLTD-19.01.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	महम्मदपुर-छपरा मार्ग सं०-3764 महम्मदपुर प्र०-04:35 छपरा प्र०-08:23 महम्मदपुर प्र०-11:39 छपरा प्र०-15:55	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।

	श्री देवेंद्र कुमार साह. पिता-सुदामा सिंह, ग्राम+पो- कौरिया, थाना-भगवानपुर जिला-सिवान बैनर का नाम - मुन्ना डिलक्स।	BR29PB-1449 नि0तिथि-02.09.25 टैक्स-01.06.26 फिटनेश-31.08.27 बीमा-08.06.26 प्रदूषण-01.09.26 VLTD-28.08.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	महम्मदपुर-छपरा मार्ग सं0-3764 महम्मदपुर प्र0-06:35 छपरा प्र0-09:39 महम्मदपुर प्र0-16:35 छपरा प्र0-21:09	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।
39	श्री विनित कुमार राय, पिता- भुअन भास्कर राय, ग्राम- पाण्डेयपार, पो0- डुमरहर, थाना- गुठनी, जिला-सिवान बैनर का नाम- आदित्य विनित।	BR09PA- 6685 नि0तिथि 03.09.21 टैक्स-27.05.26 फिट0-28.12.27 बीमा-23.12.26 प्रदूषण-25.12.26 VLTD-04.01.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	मेहरौना-सिवान मार्ग सं0-3696 मेहरौना प्र0-05:12 सिवान प्र0-06:56 मेहरौना प्र0-08:57 सिवान प्र0-12:35 मेहरौना प्र0-13:50 सिवान प्र0-15:59 मेहरौना प्र0-17:10 सिवान प्र0-18:15	(1) आपतिकर्ता-गायत्री देवी, पति-पुष्पेन्द्र राय, परमिट सं0-BR2025-SC- 2048A आवृत वाहन सं0- BR29P-3701, मार्ग-मेहरौना-सिवान, मार्ग सं0-3696 आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक मेहरौना प्र0-13:50 आपतिकर्ता मेहरौना प्र0-13:50 अंतराल-00 मिनट साथ ही आवेदक का एक और बस है, जिसका वाहन सं0-BR29M-7091, जिसका प्रस्थान मेहरौना से 08:58, जो बस का परमिट डाले है। उसका भी मेहरौना से प्रस्थान 08:57 है। (2) आपतिकर्ता- श्री रवि भुषण सिंह पिता-स्व0 शम्भु प्र0 सिंह, परमिट सं0- आवृत वाहन सं0-BR29M-5835, मार्ग- दरौली-सिवान, मार्ग सं0-3663 आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक सिवान प्र0-15:59 आपतिकर्ता सिवान प्र0-15:59 अंतराल-00 मिनट (क्रं0सं0-33 पर आवेदन प्रकाशन)	BR29P-3701 नि0तिथि-06.01.14 टैक्स-25.03.26 फिट0-26.11.26 बीमा-29.05.26 प्रदूषण-15.04.26 VLTD-22.12.26 BR29M-5835 नि0तिथि 17.05.13 टैक्स-16.05.26 फिट0-08.09.26 बीमा-04.09.26 प्रदूषण-12.08.26 VLTD-17.08.26	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	प्रथम आपति से स्पष्ट है कि आपतिकर्ता के वाहन का आवेदित समय-सारणी दूसरे खेप में मेहरौना एवं तिसरे खेप मेहरौना और सिवान में आपतिकर्ता एवं आवेदक के स्वयं अन्य वाहन के समय-सारणी के मुख्य बिंदू में टकराव हो रहा है। द्वितीय आपतिकर्ता द्वारा बिना आपति शुल्क के आपति आवेदन समर्पित किया गया है, जो नियमानुसार नहीं है, इसलिए उनपर मो0 5000/-रु0 का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। साथ ही आवेदक का दूसरे एवं तिसरे खेप में मुख्य बिंदु पर समय का टकराव होने के कारण उक्त खेप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।
40.	श्री देवेन्द्र कुमार पिता-धुवनाथ प्रसाद, पता-भवानीपुर जिरात, मोतिहारी। बैनर का नाम- NRA गुड़िया।	BR06PC- 9747 नि0तिथि-09.04.16 टैक्स-06.05.26 फिट0-16.04.26 बीमा-30.06.26 प्रदूषण-04.02.27 VLTD-27.04.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	गुठनी-रक्सौल मार्ग सं0-3675 गुठनी प्र0-05:10 रक्सौल प्र0-12:54	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-15.10. 2025 को निर्गत है, परन्तु मुजफ्फरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर अरवीकृत है।	स्वीकृत।

41.	श्री अखिलेश्वर राय, पिता-कपिलदेव राय, ग्राम-ठेपहा, पो0+थाना-जिरादे ई. जिला-सिवान बैनर का नाम- सियाराम।	BR29G-4107 नि0तिथि-07.05.10 टैक्स-31.10.25 फिटनेश-16.04.26 बीमा-30.06.26 प्रदूषण-06.02.27 VLTD-27.04.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	मेहरौना -सिवान मार्ग सं0-3696 मेहरौना प्र0-05:00 सिवान प्र0-15:10	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।
42.	श्रीमति संगीता कुमारी, पति-देवेन्द्र कुमार, पता-भवानीपुर जिरात, मोतिहारी। बैनर का नाम- NRA गुड़िया।	BR06PD-9828 नि0तिथि-06.10.18 टैक्स-23.03.26 फिटनेश-22.10.26 बीमा-11.10.26 प्रदूषण-21.10.26 VLTD-28.07.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	गुठनी-रक्सौल मार्ग सं0-3675 गुठनी प्र0-06:10 रक्सौल प्र0-13:34	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-14.10.2025 को निर्गत है, परन्तु मुजफ्फरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत है।	स्वीकृत।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>प्रादय, पिता- श्री विरेन्द्र यादव, ग्राम-टरवा खुर्द, पो-बकुलारी थाना-गुठनी, जिला-सिवान।</p> <p>वैनर का नाम- कृष्ण मुरारी।</p>	<p>BR29PB-1689 नि०तिथि 29.01.16 टैक्स-27.05.26 फिटनेस-26.01.27 बीमा-15.09.26 प्रदूषण-02.06.26 VLTD-15.11.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ</p>	<p>मेहरौना-सिवान मार्ग सं०-3696 मेहरौना प्र०-07:55 सिवान प्र०-10:16 मेहरौना प्र०-12:53 सिवान प्र०-14:51 मेहरौना प्र०-16:15 सिवान प्र०-18:00</p>	<p>(1) आपतिकर्ता-पियूष कुमार सिंह, पिता-स्व० शंभु प्रसाद सिंह, परमिट सं०-BR2023-SC-1672A आवृत वाहन सं०- BR05PA-2206, मार्ग-दरौली-सिवान, मार्ग सं०-3663 आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक सिवान प्र०-14:51 आपतिकर्ता सिवान प्र०-14:55 अंतराल-04 मिनट</p> <p>साथ ही सिवान से मैरवा की दूरी 22 कि०मी० कॉमन रूट है, यह 43 प्रतिशत अधिक मेरे मार्ग को कॉमनली आच्छादित करता है। अतः मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक होने के कारण प्रारंभिक मुख्य बिन्दु पर तय न्यूनतम समय अंतराल 5 मिनट के मानक का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे मुझे क्षति होगी। ज्ञातव्य हो कि सिवान से मैरवा की दूरी 22 कि०मी० (कॉमन रूट) रूट नं०-3663 का 43 प्रतिशत एवं मार्ग सं०-3696 का 55 प्रतिशत भाग कॉमन है।</p> <p>(2) आपतिकर्ता- श्री रवि भुषण सिंह पिता-स्व० शम्भु प्र० सिंह, परमिट सं०- आवृत वाहन सं०-BR29M-5835, मार्ग- दरौली-सिवान, मार्ग सं०-3663 आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक सिवान प्र०-10:16 आपतिकर्ता सिवान प्र०-10:16 अंतराल-00 मिनट (क्र०सं०-33 पर आवेदन प्रकाशन)</p>	<p>BR05PA-2206 नि०तिथि-20.10.14 टैक्स-19.04.26 फिट०-08.12.26 बीमा-09.03.27 प्रदूषण-20.11.26 VLTD-18.08.26</p> <p>BR29M-5835 नि०तिथि 17.05.13 टैक्स-16.05.26 फिट०-08.09.26 बीमा-04.09.26 प्रदूषण-12.08.26 VLTD-17.08.26</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।</p>	<p>प्रथम आपति के उपरांत जॉचोपरांत स्पष्ट है कि आपतिकर्ता एवं आवेदनकर्ता का मार्ग भिन्न है, परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक है। ऐसी स्थिति में प्राधिकार के निर्णय अनुसार मुख्य बिंदु पर प्रस्थान के समय में 05 मिनट का अंतराल अनुमान्य है, जबकि आवेदक का 04 मिनट का अंतराल है।</p> <p>द्वितीय आपतिकर्ता का आवेदन क्र०सं०- 33 पर है, जिसके प्रथम खेप के सिवान में प्रस्थान का समय का टकराव हो रहा है। इस परिस्थिति में पहले आओ- पहले पाओ के सिद्धांत लागू हो रहा है। अतः उपरोक्त के आलोक में प्रथम एवं द्वितीय खेप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।</p>
--	--	---	--	--	---	---

44.	<p>मो० अली इमाम, पिता-शेख बहगुन मियां, ग्राम- सुल्तानपुर, आन्दर, सिवान। बैनर का नाम- न्यू अनमोल मोती</p>	<p>BR04M-8076 नि०तिथि-26.08.13 टैक्स-20.05.26 फिटनेश-18.11.26 बीमा-07.03.26 प्रदूषण-16.07.26 VLTD-16.11.26 जुर्माना-हॉ 9500 H.S.R.P-हॉ</p>	<p>बढ़ैया-सिवान मार्ग सं०-3915 बढ़ैया प्र०-07:30 सिवान प्र०-11:50 बढ़ैया प्र०-15:15 सिवान प्र०-17:55</p>	<p>आपत्ति प्राप्त नहीं।</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-10.02.2021 को निर्गत है।</p>	<p>आवेदक द्वारा अपने वाहन का परिचालन अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है, जबकि प्राधिकार द्वारा सामान्य बस हेतु न्यूनतम गति 20कि०मी० प्रति घंटा अनुमान्य है और आवेदक द्वारा कई बिंदुओं यथा-प्रथम खेप में बरौली से रत्नसराय एवं जगदीशपुर से अफराद, द्वितीय खेप में तरवारा से अफराद एवं लधी से जामो, तृतीय खेप में रत्नसराय से जामो पर 20कि०मी० से कम गति से वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो मान्य नहीं है। अतः आवेदन अस्वीकृत।</p>
45.	<p>श्री रंजन कुमार यादव, पिता-पुजा यादव, ग्राम- हरखौली पश्चिम टोला, मीरगंज, गोपालगंज। बैनर का नाम- श्रेया श्री।</p>	<p>BR21P-4111 नि०तिथि-03.08.17 टैक्स-04.06.26 फिटनेश-30.12. 26 बीमा-09.04.26 प्रदूषण-30.12.26 VLTD-01.01.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ</p>	<p>पगरा-गोपालगंज मार्ग सं०-4101 पगरा प्र०-07:10 गोपालगंज प्र०-13:10</p>	<p>आपत्ति प्राप्त नहीं।</p>	<p>आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।</p>	<p>स्वीकृत।</p>

	श्री राजेश कुमार राय, पिता-हरेश्वर राय, ग्राम+पो-सिरसिया, थाना-नौतन, जिला-सिवान बैनर का नाम-आलोक बिहार।	BR01PS-7181 नि0तिथि-28.04.17 टैक्स-14.04.26 फिटनेश-26.04.26 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-24.05.26 VLTD-05.11.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	मेहरौना-सिवान मार्ग सं0-3696 मेहरौना प्र0-05:23 सिवान प्र0-07:05 मेहरौना प्र0-08:28 सिवान प्र0-09:52 मेहरौना प्र0-12:23 सिवान प्र0-14:12 मेहरौना प्र0-15:15 सिवान प्र0-18:30	आपतिकर्ता-आशु कुमार राय, पिता-धर्मेश्वर राय, परमिट सं0- BR2025-SC-0933A आवृत वाहन सं0- BR29M-1686 मार्ग-मेहरौना-सिवान, मार्ग सं0-3696 आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक सिवान प्र0-09:52 आपतिकर्ता सिवान प्र0-09:55 अंतराल-03 मिनट आपतिकर्ता का क्रमांक-32 पर समय-सारणी का प्रकाशन कराए हैं।	BR29M-1686 नि0तिथि-15.3.13 टैक्स-14.06.26 फिट0-08.12.26 बीमा-10.02.27 प्रदू0-03.01.27 VLTD-05.01.27	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	आपतिकर्ता का आवेदन क्रं0सं0- 32 पर है, जिसके प्रथम खेप के सिवान में प्रस्थान का समय-सारणी में 03 मिनट का अंतराल है, जबकि 05 मिनट का अंतराल अनुमान्य है। इस परिस्थिति में पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत लागू हो रहा है। अतः उपरोक्त के आलोक में द्वितीय खेप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।
47.	श्री राजेश यादव, पिता-रामरक्षा यादव, ग्राम+पो-बड़का गाँव, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज। बैनर का नाम-यादव ट्रेवल्स।	BR01PS-1981 नि0तिथि-24.03.17 टैक्स-19.03.2026 फिटनेश-11.06.27 बीमा-26.11.26 प्रदूषण-03.08.26 VLTD-18.07.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	पगरा-गोपालगंज मार्ग सं0-4101 पगरा प्र0-05:43 गोपालगंज प्र0-09:18 पगरा प्र0-11:31 गोपालगंज प्र0-14:53	आपतिकर्ता-मुन्ना सिंह, पिता-धर्मेश्वर राय, परमिट सं0- BR2025-SC-0933A आवृत वाहन सं0- BR22PA-5706 मार्ग-जगदीशपुर-गोपालगंज, मार्ग सं0-3860 आपतिकर्ता का आपति है कि :- आपतिकर्ता का वाहन का स्थायी परमिट सारण, छपरा प्राधिकार से निर्गत है। जिसका दूरी 38 कि0मी0 है। आवेदक का भोरे से हुसेपर की दूरी 06 कि0मी0 19 मिनट लग रहा है, जबकि मरछियों चौक से मीरगंज की दूरी 01 कि0मी0 05 मिनट में तय कर रहे हैं, साथ ही मिश्रबतराहा से बड़कागाँव की दूरी 06 कि0मी0 20 मिनट में तय कर रहे हैं।	BR22PA-5706 नि0तिथि-09.02.11 टैक्स-05.05.26 फिट0-09.01.27 बीमा-09.02.27 प्रदू0-23.06.26 VLTD-20.02.27	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	आवेदक प्रथम खेप में भोरे से हुसेपुर के बीच वाहन का परिचालन प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गति सीमा 20कि0 मी0 प्रतिघंटा से भी धीमी वाहन (18.94 कि0मी0 प्रतिघंटा) का परिचालन किया जा रहा है, जो नियमानुसार नहीं है, साथ ही समय-सारणी में कई जगहों पर त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। अतः प्रथम खेप कटाव एवं मो0 5000/-रु0 जुर्माना के साथ परमिट स्वीकृत।
48.	स्वपना कुमारी, पि0-श्री राम चौधरी, ग्राम-पकड़ियार, पो0-लाईन बाजार, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज बैनर का नाम-	BR19C-4622 नि0तिथि-13.04.10 टैक्स-27.04.26 फिटनेश-14.02.27 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-03.02.27 VLTD-05.03.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	जगदीशपुर-गोपालगंज मार्ग सं0-3860 जगदीशपुर प्र0-07:59 गोपालगंज प्र0-14:39	आपतिकर्ता-मुन्ना सिंह, पिता-हरिशंकर सिंह, परमिट सं0- आवृत वाहन सं0- BR7P-2973 मार्ग-पगरा-गोपालगंज, मार्ग सं0-4101 आपतिकर्ता का आपति है कि :- पगरा से गोपालगंज की दूरी 65 कि0मी0 है। आवेदक का जगदीशपुर से विजयीपुर की 04 कि0मी0 15 मिनट में तय कर रही है, जबकि गोपालगंज से मीरगंज की दूरी 15 कि0मी0 53 मिनट में तय कर रहे हैं तथा मूसहरी से विजयीपुर की दूरी 05 कि0मी0 17 मिनट में तय कर रही है।	BR7P-2973 नि0तिथि-13.01.10 टैक्स-31.12.26 फिटनेश-07.12.26 बीमा-05.12.26 प्रदूषण-08.12.26	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	आवेदक द्वारा गोपालगंज से मीरगंज की दूरी तय करने में न्यूनतम गति सीमा 20कि0मी0 प्रतिघंटा का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन का परिचालन 16.98 प्रतिघंटा से किया जा रहा है, जो मान्य नहीं है। अतः आवेदन अस्वीकृत।

कार्यावली संख्या-3(iii) बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु दिनांक-01.03.26 से 07.03.26 तक प्राप्त आवेदनों एवं आपतियों पर विचारणः

प्राप्त आवेदनों की विवरणी

क्र.सं.	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातों की वैधता	मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय	प्राप्त आपत्ति से संबंधित विवरणी		कार्यालय स्तर पर की गई समीक्षा की विवरणी		निर्णय
				आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन की विवरणी	कार्यालय का तथ्य	कार्यालय तथ्य में दर्जित वाहन की विवरणी	
49	श्री बब्लू राय, पिता- दीनानाथ राय, ग्राम- पाण्डेयपुर, पो0- दुमरहर, थाना- गुठनी, जिला-सारण बैनर का नाम- आदित्य विनित।	BR29PB- 1918 नि0तिथि 21.02.26 टैक्स-20.05.26 फिट0-20.02.28 बीमा-31.01.27 प्रदूषण-20.02.27 VLTD-05.04.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	मेहरौना-सिवान मार्ग सं0-3696 मेहरौना प्र0-07:12 सिवान प्र0-08:23 मेहरौना प्र0-09:15 सिवान प्र0-11:45 मेहरौना प्र0-13:08 सिवान प्र0-15:34	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है। श्री आर्यु कुमार राय के वाहन सं0- BR29PB-1217 द्वारा आवेदन दिया गया है कि आवेदक का ही अन्य वाहन सं0- BR29M-7091 का परमिट पूर्व से निर्गत है, जिसका मेहरौना में प्र0-01:09 है। अभी वर्तमान आवेदित वाहन का मुख्य बिंदु मेहरौना में प्र0 13:08 दिया गया है, जो समय अंतराल 01 मिनट है। उक्त के आलोक में वाहन पोर्टल पर जॉब के क्रम में उपरोक्त तथ्य सही पाया गया।	कार्यालय तथ्य में दर्जित वाहन की विवरणी	कार्यालय का तथ्य के आलोक में तृतीय खेप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।
50	श्री गौतम सिंह, पिता-स्व0 इन्द्रसन सिंह, ग्राम+पो0- बिदुना, थाना- बसंतपुर, जिला-सिवान। बैनर का नाम- इन्द्रलोक।	BR04G-9861 नि0तिथि 01.03.10 टैक्स-27.05.26 फिट0-23.10.26 बीमा-14.09.26 प्रदूषण-05.10.26 VLTD-24.09.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	जनता बाजार- छपरा मार्गसं0-2167डा0 जनता बाजार प्र0 -06:55 छपरा प्र0-14:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक- 22 02.2021 को निर्गत है।		स्वीकृत।
51	श्री गोविन्द कुमार पिता-स्व0 जलेश्वर राय, ग्राम+पो0-सांढा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-सारण। बैनर का नाम- दूलरी।	BR01PS- 0667 नि0तिथि-15.3.13 टैक्स-26.03.26 फिटनेश-09.12.26 बीमा-25.02.27 प्रदूषण-11.05.26 VLTD-28.05.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	बंगराघाट-छपरा मार्ग सं0-3895डा0 बंगराघाट प्र0-03:40 छपरा प्र0-07:02 बंगराघाट प्र0-09:01 छपरा प्र0-12:45 बंगराघाट प्र0-14:31 छपरा प्र0-18:01	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।		स्वीकृत।



<p>111-216</p> <p>मिश्रा, पिता-रामाकांत मिश्रा, ग्राम- कल्याणपुर खास, पो-बेरवा कला, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-</p>	<p>BR05PB-7615 नि0तिथि 06.09.24 टैक्स-27.05.26 फिट0-05.09.26 बीमा-12.08.26 प्रदूषण-06.09.26 VLTD-27.08.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों</p>	<p>गुठनी-रक्सौल मार्ग सं0-3675 गुठनी प्र0-04:15 रक्सौल प्र0-11:09 गुठनी प्र0-17:06 रक्सौल प्र0-21:50</p>	<p>आपतिकर्ता-नुर मोहम्मद, पिता-सादिक मियाँ, परमिट सं0- BR2025-SC-0889A आवृत वाहन सं0- BR28P-8451 मार्ग-रक्सौल-पटना, मार्ग सं0-4120डा0 (1) आपतिकर्ता का आपति है कि मुख्य बिन्दु पर पाँच मिनट आगे एवं पीछे होना चाहिए, लेकिन इन्हीं का वाहन सं0-BR05PB-7301 का निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2024-SC-2064A निर्गत है। जिसका मोतिहारी प्रस्थान 17:41 है एवं प्रकाशित समय-सारणी मोतिहारी प्रस्थान 17:44 है, जबकि 5 मिनट होना चाहिए एवं 7 सीरियल पर प्रकाशन भी है। आलोक कुमार पाण्डेय- आपति सिवान 05:15, आवेदक-05:13 (2) आवेदक का वाहन 24 सीट में है एवं इसका वेट 7000कि0ग्रा0 है। मिलवेस 2430 है एवं यह वाहन मिनी बस है, जो पाँच साल का ऑल बिहार मिलता है। 33 सीट पर ही परमिट के साथ समय-सारणी मिलता है। इसका जॉच कराया जाय कि स्थायी परमिट दिया जाय या नहीं।</p>	<p>BR28P-8451 नि0ति0-10.07.24 टैक्स-29.03.26 फिट0-09.07.26 बीमा-09.07.26 प्रदूषण-11.07.26 VLTD-10.07.26 जुर्माना-नहीं</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।</p>	<p>आपति के आलोक में विभागीय नियम का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट हुआ कि 7500कि0ग्रा0 से अधिक वाहनों का ही एक से अधिक प्राधिकार के लिये परमिट दिया जाना है, जबकि उक्त वाहन 7000कि0ग्रा0 का है तथा दो प्राधिकारों (सारण एवं मुजफ्फरपुर) के लिये आवेदन दिया गया है। अतः उक्त के आलोक में परमिट अस्वीकृत।</p>
<p>53 श्री रोहित कुमार ओझा, पिता- श्रीकान्त ओझा, ग्राम+पो0+थाना- सहाजितपुर, जिला-सारण। बैनर का नाम- रोहित मोहित ट्रेवल्स।</p>	<p>BR04N-2919 नि0तिथि-21.01.14 टैक्स-20.04.26 फिट0-13.05.26 बीमा-19.07.26 प्रदूषण-29.04.26 VLTD-28.05.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-नहीं</p>	<p>मोतिहारी-छपरा मार्ग सं0-3972डा0 मोतिहारी प्र0-03:30 छपरा प्र0-10:07 मोतिहारी प्र0-14:28 छपरा प्र0-20:23</p>	<p>(1) आपतिकर्ता-राम तपस्या यादव, पिता-मुती यादव, परमिट सं0- BR2024-SC-2050A आवृत वाहन सं0-BR06PF-1859 मार्ग-रक्सौल-सिवान, मार्ग सं0-2465डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक मोतिहारी प्र0-02:28 आपतिकर्ता मोतिहारी प्र0-02:27 अंतराल-01 मिनट (2) आपतिकर्ता-जितेन्द्र कुमार सिंह, पिता-राम नरेश सिंह, परमिट सं0- BR2023-SC-1498A आवृत वाहन सं0-BR06PC-6753 मार्ग-रक्सौल-सिवान, मार्ग सं0-2465डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक खजुरिया प्र0-01:17 आपतिकर्ता खजुरिया प्र0-01:18 अंतराल-01 मिनट</p>	<p>BR06PF-1859 नि0ति0-31.07.21 टैक्स-23.04.26 फिट0-30.07.27 बीमा-26.07.26 प्रदूषण-21.10.26 VLTD-29.08.26 जुर्माना-नहीं BR06PC-6753 नि0ति0-28.08.15 टैक्स-24.05.26 फिट0-13.01.27 बीमा-01.02.27 प्रदूषण-06.10.26 VLTD-24.01.27 जुर्माना-नहीं</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक- 11.03.2025 को निर्गत है।</p>	<p>प्राधिकार के अनुसार मार्ग भिन्न, परन्तु 40 प्रतिशत से अधिक मार्ग कॉमन होने की स्थिति पूर्व से निर्गत परमिट के समय अंतराल में 02 मिनट का अंतर अनुमान्य है, जबकि मोतिहारी में अंतराल 01 मिनट है। अतः आपति के आलोक में प्रथम खेप में खजुरिया बाईपास एवं द्वितीय खेप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।</p>

54	श्री मनुज कुमार, ग्राम-मघरी, थाना-भगवानपुर हाट, सिवान। बैनर का नाम- शिवदानी।	BR29PB- 1906 नि०तिथि 19.02.26 टैक्स-18.05.26 फिट०-01.02.28 बीमा-05.10.26 प्रदूषण-18.02.27 VLTD-18.03.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	सिवान-बरसंतपुर मार्ग सं०-3980 सिवानप्र०-06:40 बरसंतपुर प्र०-07:51 सिवानप्र०-10:40 बरसंतपुर प्र०-13:16 सिवानप्र०-16:20 बरसंतपुर प्र०-17:40	आपति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।
55	श्री हरेन्द्र यादव, पिता-अदालत चौधरी, ग्राम+पो०- कहलायादव टोला थाना-बरीली, जिला-गोपालगंज बैनर का नाम- जय माँ शेरावाली।	BR04J-9703 नि०तिथि-05.09.12 टैक्स-04.06.26 फिटनेश-10.04. 26 बीमा-31.03.26 प्रदूषण-27.03.26 VLTD-15.04.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	बढ़ैया-गौशाला रोड सिवान मार्गसं०-3784डा. बढ़ैया प्र०-05:45 गौशाला रोड सिवान प्र०-08:15 बढ़ैया प्र०-10:20 गौशाला रोड सिवान प्र०-13:33 बढ़ैया प्र०-15:10 गौशाला रोड सिवान प्र०-17:40	आपति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।
56	श्री मुन्ना सिंह, पिता-हरिशंकर सिंह, ग्राम-बड़हरा पो०-भोरे, जिला-गोपालगंज बैनर का नाम - राज ट्रेवल्स।	BR7P-2973 नि०तिथि-13.01.10 टैक्स-31.12.26 फिटनेश-07.12. 26 बीमा-05.12.26 प्रदूषण-08.12.26 VLTD-20.12.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	जगदीशपुर-गोपालगं ज मार्ग सं०-3860 जगदीशपुर प्र०-07:53 गोपालगंज प्र०-14:48	आपति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।
57	श्री सुमन कुमार सिंह, पिता-बशिष्ठ नारायण सिंह, ग्राम+पो०-सेमरी, थाना-मशरक, जिला-सारण। बैनर का नाम - बब्लू बिहार।	BR19F-8065 नि०तिथि-11.03.14 टैक्स-18.04.26 फिट०-19.06.26 बीमा-11.06.26 प्रदूषण-07.10.26 VLTD-03.04.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	छपरा-महम्मदपुर मार्ग सं०-3764 छपरा प्र०-01:15 महम्मदपुर प्र०-05:13 छपरा प्र०-09:17 महम्मदपुर प्र०-13:15 छपरा प्र०-18:07 महम्मदपुर प्र०-21:02	आपति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है। On	स्वीकृत।

<p>सुन्दर साह, पिता-शिव कुमार साह, ग्राम-सुपौली, थाना-सिधवलीया, जिला-गोपालगंज बैनर का नाम- साह रथ।</p>	<p>BR28P-4713 नि0तिथि 07.02.26 टैक्स-28.04.26 फिट0-06.02.28 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-06.02.27 VLTD-28.02.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ</p>	<p>छपरा-मोतिहारी मार्ग सं0-3972डा. छपरा प्र0-04:14 मोतिहारी प्र0-12:30 छपरा प्र0-18:33 मोतिहारी प्र0-22:15</p>	<p>(1) आपतिकर्ता-देवेन्द्र कुमार, पिता-धुवनाथ प्रसाद, परमिट सं0- BR2025-SC-2014A आवृत वाहन सं0-BR05PB-8293 मार्ग-साहेबगंज-मोतिहारी, मार्ग सं0-2766 आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक मोतिहारी प्र0-12:30 आपतिकर्ता मोतिहारी प्र0-12:31 अंतराल-01 मिनट</p> <p>.....</p> <p>(2) आपतिकर्ता-प्रमोद कुमार सिंह, पिता-स्व0 भरत भूषण सिंह, परमिट सं0- आवृत वाहन सं0-BR05PB-9510 मार्ग-मोतिहारी-सिवान, मार्ग सं0-4077डा. आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक खजुरिया प्र0-13:38 आपतिकर्ता खजुरिया प्र0-13:38 अंतराल-00 मिनट साथ ही आवेदक ने खजुरिया से महम्मदपुर की दूरी 10कि0मी0 दर्शाया गया है, जबकि 12 कि0मी0 है। (आपतिकर्ता 2 का समय-सारणी का प्रकाशन माह-फरवरी, 26 के क्रमांक-1 पर है)</p> <p>.....</p> <p>(3) आपतिकर्ता-आलोक कुमार पाण्डेय, पिता-राम ईकबाल पाण्डेय, परमिट सं0- BR2024-SC-2064A आवृत वाहन सं0-BR05PB-7301 मार्ग-रक्सौल-सिवान, मार्ग सं0-2465डा. आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक का मोहम्मदपुर से मोतिहारी प्र0-07:13 आपतिकर्ता का मोहम्मदपुर से मोतिहारी प्र0-07:12 अंतराल- 01 मिनट (आपतिकर्ता का क्रं0-4 पर आवेदन है) (ii) आवेदक का खजुरिया से मोतिहारी प्र0-07:36 तथा एक अन्य वाहन सं0-BR06PF-0866 का खजुरिया से मोतिहारी प्र0-07:35 अंतराल-01 मिनट</p>	<p>BR05PB-8293 नि0ति0-21.03.25 टैक्स-03.06.26 फिट0-20.03.27 बीमा-03.03.27 प्रदूषण-20.03.26 VLTD-23.04.27 जुर्माना-नहीं</p> <p>.....</p> <p>BR05PB-9510 नि0ति0-22.01.26 टैक्स-20.04.26 फिट0-21.01.28 बीमा-20.01.27 प्रदूषण-21.01.27 VLTD-22.01.28 जुर्माना-नहीं</p> <p>.....</p> <p>BR05PB-7301 नि0ति0-10.06.24 टैक्स-04.06.26 फिट0-09.06.26 बीमा-03.07.26 प्रदूषण-13.08.26 VLTD-11.06.26 जुर्माना-हॉ 4500</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।</p>	<p>(1) प्राधिकार के अनुसार मार्ग भिन्न, परन्तु 40 प्रतिशत से अधिक मार्ग कॉमन होने की स्थिति पूर्व से निर्गत परमिट के समय अंतराल में 02 मिनट का अंतर अनुमान्य है, जबकि मोतिहारी अंतराल 01 मिनट है। अतः प्रथम एवं द्वितीय आपति के आलोक में द्वितीय खेप (मोतिहारी से छपरा) कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।</p>
--	---	--	---	---	---	--

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

59	श्री दुन्दुन साह, पिता-शिव कुमार साह, ग्राम-सुपौली, थाना-सिधवलीया, जिला-गोपालगंज । बैनर का नाम-साह रथ।	BR28P-4712 नि०तिथि 07.02.26 टैक्स-28.04.26 फिट०-06.02.28 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-06.02.27 VLTD-28.02.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	छपरा-मोतिहारी मार्ग सं०-3972डा. छपरा प्र०-04:08 मोतिहारी प्र०-12:20 छपरा प्र०-18:28 मोतिहारी प्र०-22:10	आपतिकर्ता-उमाकान्त कुमार सिंह, पिता-स्व० किशोरी सिंह, परमिट सं०- BR2023-SC-0169A आवृत वाहन सं०-BR05P-9619 मार्ग-सिवान-बेतिया,मार्ग सं०-2312डा. आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक मोतिहारी प्र०-12:20 आपतिकर्ता मोतिहारी प्र०-12:22 अंतराल-02 मिनट आवेदक महम्मदपुर प्र०-01:51 आपतिकर्ता महम्मदपुर प्र०-01:50 अंतराल-01 मिनट साथ ही आवेदक ने खजुरिया से महम्मदपुर की दूरी 10कि०मी० दर्शाया गया है, जबकि 12 कि०मी० है।	BR05P-9619 नि०ति०-16.08.13 टैक्स-08.05.26 फिट०-22.08.26 बीमा-12.01.27 प्रदूषण-17.08.26 VLTD-07.10.26 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	प्राधिकारक अनुसार मार्ग भिन्न, परन्तु 40 प्रतिशत से अधिक मार्ग कॉमन होने की स्थिति पूर्व से निर्गत परमिट के समय अंतराल में 02 मिनट का अंतर अनुमान्य है। आपतिकर्ता के अनुसार खजुरिया से महम्मदपुर की दूरी 12कि०मी० होने की स्थिति में आवेदक एवं आपतिकर्ता का कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक है। अतः आपति के आलोक में द्वितीय खेप में महम्मदपुर बाईपास के साथ परमिट स्वीकृत।
60	श्री मोहित कुमार ओझा, पिता-श्रीकान्त ओझा, ग्राम+पो०+थाना-सहाजितपुर, जिला-सारण । बैनर का नाम-रोहित मोहित ट्रेवल्स।	BR29PB-1719 नि०तिथि-01.08.25 टैक्स-29.04.26 फिट०-30.07.27 बीमा-20.05.26 प्रदूषण-31.07.26 VLTD-30.06.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	महम्मदपुर-छपरा मार्ग सं०-3764 महम्मदपुर प्र०-05:10 छपरा प्र०-08:16 महम्मदपुर प्र०-11:20 छपरा प्र०-18:55	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।



<p>पिता-शिव कुमार साह, ग्राम-सुपौली, थाना-सिधवलीया, जिला-गोपालगंज बैनर का नाम-साह रथ।</p>	<p>BR28P-4730 नि0तिथि-16.02.26 टैक्स-28.04.26 फिटनेश-15.02.28 बीमा-15.02.27 प्रदूषण-15.02.27 VLTD-28.02.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों</p>	<p>छपरा-मोतिहारी मार्ग सं0-3972डा छपरा प्र0-04:51 मोतिहारी प्र0-12:44 छपरा प्र0-18:38 मोतिहारी प्र0-22:20</p>	<p>(1) आपतिकर्ता-देवेन्द्र कुमार, पिता-धुवनाथ प्रसाद, परमिट सं0- BR2025-SC-2586A आवृत वाहन सं0-BR06PA-8897 मार्ग-छपरा-मोतिहारी, मार्ग सं0-3971डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक मोतिहारी प्र0-12:44 आपतिकर्ता मोतिहारी प्र0-12:43 अंतराल-01 मिनट</p> <p>(2) आपतिकर्ता-प्रमोद कुमार सिंह, पिता-स्व0 भरत भूषण सिंह (आपतिकर्ता-1 में जो आपति है वही आपतिकर्ता-2 में सेम है)</p> <p>(3) आपतिकर्ता-आलोक कुमार पाण्डेय, पिता-राम ईकवाल पाण्डेय, परमिट सं0- BR2024-SC-2064A आवृत वाहन सं0-BR05PB-7301 मार्ग-रक्सौल-सिवान, मार्ग सं0-2465डा. आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदनकर्ता का बस प्रियांशु राज बैनर के अंतर्गत चलता है, जिसका मालिक धननंजय सिंह है और इनका मैनेजर टूनटून साह है। प्रियांशु राज के अनेक बसों पर सरकार का लाखों रुपया राजस्व बकाया है तथा इनके अनेक बसों का सालों से इन्श्युरेन्स, फिटनेश एवं टैक्स फेल है, जो निम्न प्रकार है:- (i) BR04M-9595 - फिटनेश एवं वाहन लॉक है। (ii) BR06P8341- टैक्स, बीमा, परमिट, फिटनेश एवं प्रदूषण फेल है। (iii) BR06PD-0564- बीमा एवं VLTD फेल है एवं जुर्माना-1,16,500/- (iv) BR06PD-6959- जुर्माना- 1,37,784/-</p>	<p>BR06PA-8897 नि0ति0-08.12.11 टैक्स-07.06.26 फिट0-18.05.26 बीमा-05.07.26 प्रदूषण-23.11.26 VLTD-02.05.26 जुर्माना-नहीं</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है। श्री धनंजय सिंह द्वारा कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया है कि वाहन सं0- BR06PA-8897 का स्वामी मैं हूँ और मेरे द्वारा इस वाहन पर आपति दर्ज नहीं कराई गई है। वल्कि देवेन्द्र कुमार द्वारा फर्जी तरीके से आपति दर्ज कराई गई है। उक्त आवेदन के समय- सारणी से मुझे कोई आपति नहीं है।</p>	<p>प्राधिकार के अनुसार मुख्य बिंदु पर पहले 05 मिनट एवं बाद में 02 मिनट का समय अंतराल अनुमान्य है, जबकि आपतिकर्ता द्वारा द्वितीय खेप में मुख्य बिंदु मोतिहारी में मात्र 01 मिनट के अंतर में आवेदन समर्पित किया गया है, जो नियमानुसार नहीं है। तृतीय आपतिकर्ता का आरोप है कि आवेदित बस प्रियांशु राज बैनर के अंतर्गत संचालित है, जबकि आवेदक द्वारा शपथ-पत्र में बैनर का नाम साह रथ अंकित किया गया है। इसलिए यह आपति मान्य योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में द्वितीय खेप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।</p>
<p>62 श्री राज बहादुर सिंह, पिता-बिरजा सिंह, सा0-रामकृष्णपुरी मासुमगंज, पो0+ थाना-भगवान बाजार, सारण। बैनर का नाम-वृज राज ट्रेवल्स</p>	<p>BR04Q-6547 नि0तिथि-28.11.15 टैक्स-18.05.26 फिट0-30.12.26 बीमा-08.11.26 प्रदूषण-05.06.26 VLTD-23.12.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों</p>	<p>टाड़ी बाजार-सिवान मार्ग सं0-3680 टाड़ी बाजार प्र0-06:20 सिवान प्र0-09:45 टाड़ी बाजार प्र0-12:00 सिवान प्र0-18:10</p>	<p>आपति प्राप्त नहीं।</p>	<p>BR05PB-7301 नि0ति0-10.06.24 टैक्स-04.06.26 फिट0-09.06.26 बीमा-03.07.26 प्रदूषण-13.08.26 VLTD-11.06.26 जुर्माना-हों 4500</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-21.01.2021 को निर्गत है।</p>	<p>स्वीकृत।</p>

63	श्री रमेश महतो, पिता-बंगाली महतो सिसई मलदी, पं० चम्पारण। बैनर का नाम- माँ वैष्णो।	BR06PF-2419 नि०तिथि-02.11.21 टैक्स-26.04.26 फिटनेश-12.03. 26 बीमा-28.10.26 प्रदूषण-15.02.27 VLTD-10.03.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	सिवान-मोतिहारी मार्ग सं०-2199 सिवान प्र०-03:05 मोतिहारी प्र०-06:30 सिवान प्र०-10:55 मोतिहारी प्र०-15:58 सिवान प्र०-21:01 मोतिहारी प्र०-00:05	(1) आपत्तिकर्ता-अभिषेक कुमार, पिता-धुवनाथ प्रसाद, परमिट सं०- BR2025-SC- 2014A आवृत वाहन सं०-BR05PB-0220 मार्ग-मोतिहारी-सिवान, मार्ग सं०-4077 आपत्तिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक मोतिहारी प्र०-03:58 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-03:56 अंतराल-02 मिनट (2) आपत्तिकर्ता-उमाकान्त कुमार सिंह, पिता-स्व० किशोरी सिंह, परमिट सं०- BR2024-SC-1333A आवृत वाहन सं०-BR05PA-1719 मार्ग-रक्सौल-गुठनी, मार्ग सं०-2181 आपत्तिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक सिवान प्र०-10:55 आवेदक का पूर्व के परमिट का सिवान प्र०-10:55 साथ ही आवेदक के बैनर तले एक और वाहन का मोतिहारी में प्र०-15:57 जबकि वाहन सं०-BR05P-0220 मोतिहारी प्र० 15:56 अंतराल-01 मिनट	BR05PB-0220 नि०ति०-05.02.19 टैक्स-29.04.26 फिट०-28.04.27 बीमा-11.04.26 प्रदूषण-07.01.27 VLTD-24.04.26 जुर्माना-नहीं BR05PA-1719 नि०ति०-14.07.14 टैक्स-13.04.26 फिट०-02.08.26 बीमा-02.03.27 प्रदूषण-23.11.26 VLTD-15.12.26 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-14.08.25 को निर्गत है।	प्राधिकार के अनुसार मुख्य बिंदु पर पहले 05 मिनट एवं बाद में 02 मिनट का अंतराल अनुमान्य है। आवेदक द्वारा मुख्य बिंदु मोतिहारी में उक्त समय का अनुपालन किया जा रहा है तथा द्वितीय आपति स्पष्ट नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक परमिट स्वीकृत।
----	--	--	--	--	--	--	--

स्टेज कैरेज परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन एवं आपतियों पर विचारण :-

कार्यावली संख्या-3(ii)

प्राप्त आवेदनों की विवरणी				प्राप्त आपति से संबंधित विवरणी		कार्यालय समीक्षा		परिशिष्ट-I
क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम, पता	वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातों की वैधता	मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय	आपति	आपत्तिकर्ता के वाहन की विवरणी	कार्यालय अभ्युक्ति/समीक्षा	निर्णय	
1.	श्री सुमन्त सौरभ पिता-कैलाश मिश्रा ग्राम-भेरियासी सोती, पो०- हरिदासपुर, थाना-कॉटी, मुजफ्फरपुर।	BR06PC-4296 नि०तिथि-25.11.14 टैक्स-24.05.26 फिटनेश-24.11.26 बीमा-06.11.26 प्रदूषण-01.01.27 VLTD-20.01.27 जुर्माना-नहीं	गोपालगंज- मुजफ्फरपुर मार्ग सं०-4695डा० गोपा० प्र०-10:22 मुज० प्र०-17:58	आपति प्राप्त नहीं।			स्वीकृत।	



परिशिष्ट-1

अन्यान्य कार्यावली संख्या-04(i)- गत बैटक दिनांक-30.12.2025 की कार्यावाही के क्रमांक संख्या-12 पर वाहन सं0-BR06PE-0950 के आवेदित परमिट को आपति के उपरांत जुमाने के साथ स्वीकृत के आलोक में श्री आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा कार्यालय में दिनांक-07.01.2026 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाहन को श्री अरुण कुमार से उनके द्वारा वर्ष-2022 में क्रय कर लिया गया है और उक्त वाहन उनके बैनर तले संचालित है। श्री अरुण कुमार के जिस वाहन (BR22P-1556) के संबंध में आपतिकर्ता द्वारा सभी कागजात अद्यतन नहीं होने का आपति लगाई गई है, वह वाहन मेरा नहीं है, साथ ही यह भी कहना है कि आपतिकर्ता द्वारा भी श्री अरुण कुमार से एक वाहन का क्रय किया गया है, जिसका निबंधन सं0- BR06PD-6732 है।

उपरोक्त के संबंध में कार्यालय द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि वर्तमान में भी वाहन सं0-BR06PE-0950 श्री अरुण कुमार के नाम पर ही निबंधित है तथा आवेदक द्वारा मात्र 100 रुपये स्टाम्प के आधार पर अपना पक्ष रखा गया है कि उक्त वाहन उनके द्वारा क्रय कर लिया गया है, जो कि क्रय हेतु विभागीय विहित नियमों के विपरीत है। अतः उक्त के आलोक में दिनांक-30.12.2025 के कार्यावाही सं0-12 पर लिये गये निर्णय के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इस लंबित आवेदन को Dispose off किया जाता है।

नोट:-

- (1) उपरोक्त कार्यावली सं0-3(i) के क्रमांक 1 से 63 में आवेदित वैसे वाहन, जो पूर्व से परमिट से आवृत है, पर लगाई गई शर्तों के अतिरिक्त यह शर्त लगाया जाता है कि पूर्व से धारित परमिट का प्रत्यर्पण करने या परमिट प्रत्यर्पण संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने के पश्चात एवं लगायी गयी सभी शर्तों का अनुपालन होने व बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् ही परमिट निर्गमन की कार्रवाई की जायेगी।
- (2) सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि कार्यावली संख्या-3(i) के क्रमांक-1 से 63 तक के निर्णय में लगाई गई शर्त एवं उक्त कंडिका (1) में लगाई गई शर्त का अनुपालन दिनांक-02/04/26 तक अनिवार्य रूप से करते हुए उसकी साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे अन्यथा लगाये गये शर्त का अनुपालन दिनांक-04/04/26 तक नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि लगाये गये शर्त पर वाहन स्वामी परमिट लेने हेतु इच्छुक नहीं है एवं इस आधार पर आवेदन **Dispose Off** कर **Time Slot Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (3) जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/सिवान/गोपालगंज को निदेश है कि कार्यावाही में वर्णित जिस वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत किया गया है एवं पूर्व से भी उक्त वाहन के पक्ष में कोई वैध परमिट न हो तो वैसे वाहन का परिचालन न किया जा रहा हो, यह सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसे वाहनों का परिचालन पाया जायेगा, उनकी जबाबदेही तय की जायेगी।

अपर समाहता सारण (राजस्व)
-सह-
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण छपरा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।